jktLFkku ljdkj

Hkjriqj ekLVj Iyku &2023

jktLFkku uxj lq/kkj vf/kfu;e]1959
ds vUrxZr rS;kj fd;k x;k

uxj fu;kstu foHkkx
jktLFkku] t;iqj

vkHkkj

भरतपुर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में भरतपुर के वि" ाष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस नगर के सुनियोजित विकास कार्यो में प्रदान किया।

जिला कलक्टर, भरतपुर, सचिव, नगर सुधार न्यास भरतपुर एवं आयुक्त नगर परिशद, भरतपुर का वि" ोश रूप से आभारी हूं, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करने की आव" यकता होती है। इस वि" ोश कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उद्योग, चिकित्सा, जल प्रदाय, f" ाक्षा, वन कृशि मण्डी, रेलवे, इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में अपना प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग दिया है।

अंत में सभी नागरिकों से आ" ाा करता हूं कि भविश्य में भी इस नगर को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

(एन.के. खरे)
मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

;k tuk&ny

1. श्री एन, के खरे	मुख्य नगर नियोजक, राज0 जयपुर
2. श्री प्रदीप कपूर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,(पूर्व) राज0 जयपुर
3. श्री डी.एस. बारेठ	वरिश्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर
4. श्री मोहम्मद अयूब	उप नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर
5. श्री आर.के. तुलारा	उप नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर
6. श्री सुभाश गोयल	उप नगर नियोजक, भरतपुर जोन, भरतपुर
7. श्री अनिल पथरिया	उप नगर नियोजक, भरतपुर जोन, भरतपुर
8. श्री बी.डी. जाट	उप नगर नियोजक, भरतपुर जोन, भरतपुर
9. श्री राके” ा कुमार सिंह	सहायक नगर नियोजक, भरतपुर
10. श्री रविराय	सहायक नगर नियोजक, भरतपुर
11. श्री जगदी” ा कलवार	सहायक नगर नियोजक, भरतपुर

vu|l/kku lgk;d

12. श्रीमती आ” ाा भार्मा	अन्वेशक ग्रेड–द्वितीय, जयपुर

सर्वेक्षण भााखा

13. श्री आलोक माथुर	कनिश्ठ अभियंता, जयपुर

मानचित्र भााखा

14. श्री कि” ाोरीलाल कुमावत	वरिश्ठ प्रारूपकार, जयपुर
15. श्री ओमप्रका” ा कुमावत	वरिश्ठ प्रारूपकार, जयपुर
16. श्री गजेन्द्र कुमार	वरिश्ठ प्रारूपकार, जयपुर
17. श्री राजेन्द्र कुमार भार्मा	कनिश्ठ प्रारूपकार, जयपुर
18. श्री त्रिलोक चन्द	कनिश्ठ प्रारूपकार, जयपुर

e=ालयिक भााखा

19. श्री भवानी सिंह	कनिश्ठ लिपिक, जयपुर
20. श्री राजे” ा वर्मा	कनिश्ठ लिपिक, भरतपुर

विशय–सूची

v/;k; d0l0			विशय–वस्तु	
	पृश्ठ l[;k			
			आभार	i
			योजना–दल	ii
			विषय–सूची	iii-v
			तालिका सूची	vi
1			ifjp;	
	1&3			
2			fo|eku fo"ोशताएं	
	4&24			
	2.1		क्षेत्रिय परिपेक्ष्य	4
	2.2		भौतिक स्वरूप और जलवायु	4
	2.3		ऐतिहासिक पृश्ठभूमि	6
	2.4		जनांकिकी	7
	2.5		व्यावसायिक संरचना	9
	2.6		विद्यमान भू–उपयोग	9
		2.6(1)	आवासीय	11
		2.6(1)अ	कच्ची बस्तियां	11
		2.6(2)	वाणिज्यिक	12
		2.6(3)	औद्योगिक	13
		2.6(4)	राजकीय	14
		2.6(4)अ	सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय	14
		2.6(4)ब	राजकीय आरक्षित क्षेत्र	14
		2.6(5)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं	15
		2.6(5)अ	भौक्षणिक सुविधाऍं	15
		2.6(5)ब	चिकित्सा सुविधाऍं	16
		2.6(5)स	अन्य सामुदायिक सुविधाऍं	16
		2.6(5)द	धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल/सामाजिक–सांस्कृतिक	16
		2.6(5)य	जनोपयोगी सुविधाऍं	17
			(i) जलापूर्ति	17
			(ii) जल मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	18
			(iii) विद्युत आपूर्ति	18
		2.6(5)र	भम" ाान व कब्रिस्तान	19
		2.6(6)	आमोद–प्रमोद	19
		2.6(6)अ	उद्यान, खुले स्थल, एवं खेल के मैदान	20

2.6(6)ब मेले एवं पर्यटन सुविधाऍ 20
(i) मेले 20
(ii) पर्यटन सुविधाऍ 20

2.6(7) परिसंचरण 22
2.6(7)अ यातायात व्यवस्था 23
2.6(7)ब बस स्टेण्ड एवं यातायात नगर 23
2.6(7)स रेल सेवा 24

3. fu;ktu dh ldYiuk
25&27
3-1 fu;ktu dk vk/kkj 25
4- Hkkoh ;ktuk dk vkdkj
28&34
4-1 Tkukfddh 28
4-2 O;kolkf;d ljpuk 29
4-3 uxjh; {k= 30
4-4 uxjh;dj.k ;kX; {k= 30
4-5 ;ktuk ifj{k=
31
4.5(1) पुराना भाहर योजना परिक्षेत्र 32
4.5(2) केवलादेव योजना परिक्षेत्र 32
4.5(3) दक्षिणी–पि" चमी योजना परिक्षेत्र 33
4.5(4) उतरी–पि" चमी योजना परिक्षेत्र 33
4.5(5) उतरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र 33
4.5(6) दक्षिणी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र 33
4.5(7) परिधि नियंत्रण पट्टी परिक्षेत्र 34
5. Hkk&mi;kx ;ktuk
35&60
5.1 vkokl h; 37
5.1(1)अ कच्ची बस्तियां
38
5.2 okf.kfT;d 38
5.2(1) भाहरी केन्द्र 40
5.2(2) जिला केन्द्र 40
5.3(3) वाणिज्यिक केन्द्र 41
5.4(4) स्थानीय खुदरा बाजार 41
5.5(5) थोक व्यापार 42
5.6(6) होटल कॉम्पलेक्स 42
5.7(7) भण्डारण 42

5.3 vk|kfxd 43
5.4 jktdh; 44
5.4(1) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय 44
5.4(2) राजकीय आरक्षित क्षेत्र 45
5.5 lkoZtfud ,oa v)Z&lkoZtfud 45
5.5(1) भौक्षणिक सुविधाएं 46
5-5¼1½v प्रस्ताविक उच्च माध्यमिक विद्यालय 47
5-5¼1½c प्रस्तावित महाविद्यालय तथा व्यावसायिक महाविद्यालय 48
5-5¼1½l प्रस्तावित वि” वविद्यालय तथा प्रf” ाक्षण एवं संस्थानिक क्षेत्र 48
5.5(2) चिकित्सा सुविधाएँ 49
5.5(3) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ 50
5.5(4) धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल/सामाजिक सांस्कृतिक 51
5.5(4)अ धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल 51
5.5(4)ब सामाजिक–सांस्कृतिक 51
5.5(5) जनोपयोगी सुविधाएँ 52
5.5(5)अ जलापूर्ति 53
5.5(5)ब जल–मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन 53
5.5(5)स विद्युत आपूर्ति 54
5.5(6) श्मशान व कब्रिस्तान 54
5-6 vkeksn&izeksn 54
5.6(1) वानस्पतिक/जैविक गार्डन व क्षेत्रीय उद्यान 55
5.6(2) उद्यान व खुले स्थल 55
5.6(3) स्टेडियम एवं खेल मैदान 55
5.6(4) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन 55
5.6(5) मेलें/पर्यटन सुविधाए 56
5-7 ifjlapj.k 56
5.7(1) राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व बाह्म मार्ग 58
5.7(2) आंतरिक सड़कें व मार्गाधिकार 58
5.7(3) सडकों को चौडा/सुधार करना एवं व्यवस्थित पार्किंग सुविधाएँ 58
5.7(4) चौराहों/तिराहें का सुधार व निर्माण 59

5.7(5) यातायात नगर व बस अड्डा तथा टैक्सी स्टेण्ड 59
5.7(6) रेलवे 59
5-8 fo”k"k fu;kstu {k= 60
5-9 ifjf/k fu;U=.k iV‘Vh 60
5-9¼1½ o{kkjksi.k iV‘Vh 60
6- ;kstuk dk fdz;kUo;u 61&62
6-3 mi lagkj 61

ifjf'k"V %&

1 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 के उद्वरण 63
2 राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम–1962 के उद्वरण 65
3 राजकीय अधिसूचना दिनांक 22.08.2001 69
4 राजकीय अधिसूचना दिनांक 05.01.2002 70
5 राजकीय अधिसूचना दिनांक 31.05.2013 71

rkfydk& lwph

rkfydk l[;k l[;k	विशय	पृश्ठ
1.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति, भरतपुर–1901–2001	8
2.	व्यावसायिक संरचना, भरतपुर–1991–2001	9
3.	विद्यमान भू–उपयोग, भरतपुर–2001	11
4.	सरकार एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय, भरतपुर–2001	14
5.	जलापूर्ति, भरतपुर–2003	17
6.	विद्युत आपूर्ति कनेक” ान, भरतपुर माह नवम्बर, 2005	19
7.	भरतपुर भाहर में वर्शवार आये पर्यटकों की संख्या	22
8.	भरतपुर भाहर में पर्यटकों के लिए उपलब्ध आवास व्यवस्था	22
9.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति व अनुमानित जनसंख्या भरतपुर–1981–2023	29
10	व्यावसायिक संरचना, भरतपुर–2023	30
11	योजना परिक्षेत्र, भरतपुर–2023	31
12	प्रस्तावित भू–उपयोग, भरतपुर–2023	36
13	आवासीय क्षेत्रों का प्रस्तावित विवरण–2023	38
14	वाणिज्यिक गतिविधयों के भू–उपयोग का वितरण भरतपुर–2023	40

15	प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र, भरतपुर–2023	41
16	औद्योगिक गतिविधियों के भू–उपयोग का वितरण भरतपुर–2023	43
17	राजकीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग विवरण, भरतपुर–2023	46
18	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, भरतपुर–2023	46
19	भौक्षणिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, भरतपुर–2023	47
20	प्रस्तावित भौक्षणिक सुविधाएं ;उच्च माध्यमिक विद्यालयद्ध भरतपुर–2023	48
21	चिकित्सा सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, भरतपुर–2023	49
22	अन्य सामुदायिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण भरतपुर–2023	50
23	धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल/सामाजिक–सांस्कृतिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग का विवरण, भरतपुर–2023	51
24	जनोपयोगी सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण भरतपुर–2023	52
25	परिसंचरण, भरतपुर–2023	57
26	मार्ग एवं सडकों का मार्गाधिकार, भरतपुर–2023	58

1-

ifjp;

भरतपुर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण भाहर है तथा इसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार व प्रवे ा द्वार भी कहा जाता है। भरतपुर जिला मुख्यालय होने के साथ–साथ नवनिर्मित भरतपुर सम्भाग का मुख्यालय भी है। जिले की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पर क्रम ाः उत्तर मे हरियाणा का गुडगांव तथा पूर्व में उत्तर प्रदे ा के मथुरा व आगरा जिले, दक्षिण में राजस्थान का धौलपुर जिला तथा दक्षिण–पि चम में करौली व दौसा, पि चम में दौसा एवं उत्तर–पि चम में अलवर जिला स्थित है।

भरतपुर जिला राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.48 प्रति ात है। जिले का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 731 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भरतपुर तहसील में है। जिले की अधिकां ा जनसंख्या मुख्यतः ग्रामीण है। जिले में 51.40 प्रति ात साक्षरता है जो राज्य की औसत साक्षरता प्रति ात से कम है। सर्वाधिक साक्षरता 60.67 प्रति ात भरतपुर तहसील में पाई जाती है।

भरतपुर भाहर 27^0 13′ उत्तरी अक्षां ा तथा 77^0 30′ पूर्वी दे ाान्तर पर स्थित है। भरतपुर, दिल्ली–आगरा–जयपुर स्वर्ण पर्यटन त्रिकोण पर राश्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 177 किलोमीटर, राज्य की राजधानी जयपुर से 178 किलोमीटर, श्री कृश्ण की जन्मस्थली मथुरा से 36 किलोमीटर तथा ताजमहल हेतु वि व–विख्यात आगरा भाहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भरतपुर आगरा–जयपुर–बीकानेर राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 तथा दिल्ली–मुम्बई विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रेलवे लाइन तथा जयपुर–बांदीकुई–आगरा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन द्वारा दे ा व राज्य के प्रमुख भाहरों से जुडा हुआ है। भरतपुर भाहर की स्थापना का श्रेय महाराजा सूरजमल को जाता है। जिन्होंने 1733 में भाहर की नीवं रखी।

यहां की जलवायु भाुश्क एवं मानसूनी है। जिसमें उश्ण ग्रीश्म ऋतु, सर्द भीत ऋतु एवं लघु वर्शा ऋतु का सामंजस्य है। भीत ऋतु में कभी–कभी कोहरा छा जाता है। वर्शा ऋतु में कभी–कभी बाढ आती रहती है। वर्शा की अनि चितता और असमान वितरण की स्थिति से जिले में अकाल एवं अतिवृश्टि की प्रवृति देखने को मिलती है। यहॉ गर्मी में अधिकतम तापमान मई–जून में 48^0 सेल्सियस रहता है। सर्दियों में जनवरी माह का तापमान 4^0 एवं इससे भी नीचे चला जाता है। सामान्यतः हवाऍं सामान्य रूप से चलती हैं लेकिन ग्रीश्म ऋतु में वायु की दि ाा उत्तर–पि चमी रहती है। प्राक अभिनव जलोढ़ मृदा की बाहुल्यता है जिसमें पर्याप्त नमी पाई जाती है। यह पौधों व फसलों के लिए उपयुक्त है। खनिज संसाधनों के दृश्टिकोण से जिला अधिक सम्पन्न नहीं है।

जिले की अर्थव्यवस्था कृशि प्रधान हैं। भरतपुर के पूर्व भाासकों ने अपनी रियासत की जनता व खजाने की आय बढाने के लिए जो सिंचाई पद्धति अपनाई वह एक श्रेश्ठ और अनूठी प्रणाली है, जो संसार प्रसिद्ध ''जल प्लावन सिंचाई योजना'' के नाम से जानी जाती है, जो इस सिद्धान्त पर आधारित है कि उपलब्ध पानी की एक–एक बूंद को अधिक

से अधिक भू–भाग में फैलाया जावे। पर्यटन के क्षेत्र में भरतपुर भाहर केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) के कारण वि व मानचित्र में दैदीप्यमान है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के प चात प्र ाासनिक कार्यालयों व संस्थाओं तथा कुछ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से भरतपुर भाहर का तीव्र विकास हुआ। मुख्यतः गत 6 द ाकों में इसकी वि ोश वृद्धि दृश्टिगोचर होती है। सन 1951 में इस भाहर की जनसंख्या 37,321 थी, जो सन 2001 में बढकर 2,05,235 हो गई अर्थात इन पचास वर्शों में जनसंख्या 5.5 गुना बढ गयी।

इस तीव्र विकास के साथ ही विभिन्न नगरीय समस्याओं ने जन्म लिया। इनमें बढती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त आवासन सुविधा, उतरोत्तर बढता यातायात, परकोटे में उच्च घनत्व के साथ आमोद प्रमोद स्थलों व जनोपयोगी सुविधाओं का निरन्तर अभाव, अनियोजित तथा अपर्याप्त वाणिज्यिक सेवायें, जल भराव के क्षेत्रों में निरन्तर अनियोजित आवासीय निर्माण, जल–मल निकास आदि भाहर की प्रमुख समस्याऍ हैं।

जनता को स्वस्थ जीवनयापन करने हेतु बढती जनसंख्या को पर्याप्त मूलभूत तथा अन्य नगरीय सुविधाऍ उपलब्ध कराना अति आव यक है। नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाऍ यथा कृश्णा नगर, राजेन्द्र नगर, भयामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जवाहर नगर, वाणिज्यिक योजनाऍ, ग्रामीण हाट योजना, आमोद प्रमोद हेतु वि व प्रिय भाास्त्री उद्यान तथा परिसंचरण के लिए ट्रांसपोर्ट नगर व आटोमोबाईल नगर इत्यादि विकसित किये गये। उच्च व व्यावसायिक ि ाक्षण हेतु महाविद्यालयों व व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना व क्रमोन्नती का कार्य समय–समय पर किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में राज बहादुर अस्पताल व जनाना अस्पताल की स्थापना की गयी, फिर भी मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है। भाहर में पार्कों व खुले स्थानों की कमी है। नियोजित ढंग से सुव्यवस्थित परिसंचरण व पार्किंग व्यवसाय का अभाव है तथा भाहर में जनोपयोगी सुविधाओं की काफी कमी है।

यहां के नागरिकों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने हेतु बढती हुई जनसंख्या को पर्याप्त मूलभूत व जनोपयोगी सुविधाऍ उपलब्ध कराना आव यक है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नगर का यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.08.2001 एवं सं ाोधित अधिसूचना दिनांक 05.01.2002 द्वारा भरतपुर नगर सहित 39 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए भरतपुर के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर को अधिकृत किया गया। नगर नियोजन विभाग ने इस क्षेत्र का भौतिक, सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण किया तथा विभिन्न विभागों/संस्थाओं एवं अन्य स्त्रोतों से आव यक सूचनाओं के संकलन का कार्य किया। आधार वर्श 2001 में भरतपुर भाहर की जनसंख्या 2,02,235 थी, मास्टर प्लान के क्षितिज वर्श 2023 में जनसंख्या 3.85 लाख हो जाने का अनुमान है। आधार वर्श 3822 एकड विकसित क्षेत्र एवं 5093 एकड नगरीयकृत क्षेत्र है। क्षितिज वर्श 2023 की अनुमानित जनसंख्या के लिए 11708 एकड विकास योग्य क्षेत्र तथा 12,751 एकड नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र 45,676

एकड (18484.5 हैक्टयेर) के क्रम ाः 25.63 प्रति ात व 27.91 प्रति ात है। भाहर को 7 योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 02.02.2008 एवं दिनांक 05.01.2002 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में तैयार किये गये भरतपुर मास्टर प्लान के प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) के अन्तर्गत दिनांक 21.10.2009 को जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रका ित किया गया।

भरतपुर के मास्टर प्लान पारूप पर कुल 72 आपत्ति/सुझाव पत्र प्राप्त हुए जो कि मास्टर प्लान के 92 विभिन्न पहलुओं एवं बिन्दुओं से सम्बन्धित थे। इन 72 आपत्ति/सुझावों में से 42 व्यक्तिगत रूप से, 04 समूह से, 02 राजकीय अर्द्धराजकीय/स्वायत्त संस्थाओं एवं 24 राज्य सरकार के निर्दे ानुसार प्राप्त हुए।

92 आपत्ति/सुझावों में से 36 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, 04 आं िक स्वीकृत योग्य, 30 अस्वीकृत योग्य, 21 आपत्ति/सुझावों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया गया एवं 01 राज्य सरकार के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना पाया गया है।

इस प्रकार भरतपुर मास्टर प्लान को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पास अनुमोदनार्थ प्रेशित किया जा रहा है।

(एन.के. खरे)
मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

;g ekLVj lYkku jkT; ljdkj dh vf/klpuk Øekd% i-1¼2½ufofo@3@66 ikV fnukd 31-05-2013 dk vuekfnr dj fn;k x;k gA

2-
विद्यमान वि□ीशताएं

भरतपुर, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाहर है। यह 27^{0}13′ उत्तरी अक्षां ा एवं 77^{0}30′ पूर्वी दे ाान्तर पर स्थित है। यह भरतपुर जिले व नवनिर्मित संभाग का भी मुख्यालय है।

आगरा–जयपुर–बीकानेर राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, दिल्ली–मुम्बई विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रेलवे लाईन तथा जयपुर–बांदीकुई–आगरा ब्रॉडगेज रेलवे लाईन से जुडा है। प्राकृतिक वन्य जीवन व वनस्पति सम्पदा से परिपूर्ण वि व विख्यात केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) तथा स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण पर स्थित होने के कारण यह भाहर पर्यटन का प्रमुख केन्द्र है। भरतपुर भाहर के प च्य–प्रदे ा (Hinterland) की अर्थव्यवस्था कृशि पर आधारित है। 2001 की जनगणना के अनुसार भाहर की जनसंख्या 2,05,235 हैं। भाहर के विकास हेतु आव यक आधारभूत व जनसुविधाओं की कमी से इस भाहर व प च्य–प्रदे ा (Hinterland) का अधिक विकास नहीं हो पाया है।

2-1 {k=h; ifji{; %&

भरतपुर पूर्वी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण भाहर है। इसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी कहा जाता है। भरतपुर जिला मुख्यालय होने के साथ–साथ नव निर्मित भरतपुर सम्भाग का मुख्यालय भी है। जिले की उतरी एवं पूर्वी सीमा पर क्रम ाः उत्तर में हरियाणा का गुडगांव तथा पूर्व में उत्तर प्रदे ा के मथुरा व आगरा जिले, दक्षिण में राजस्थान का धौलपुर जिला तथा दक्षिण पि चम में करौली व दौसा, पि चम में दौसा एवं उत्तर पि चम में अलवर जिला स्थित है।

भरतपुर भाहर दिल्ली–आगरा स्वर्ण पर्यटन त्रिकोण पर राश्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 177 किलोमीटर, राज्य की राजधानी जयपुर से 178 किलोमीटर, श्री कृश्ण की जन्मस्थली मथुरा से 36 किलोमीटर तथा ताजमहल हेतु वि व विख्यात आगरा भाहर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भरतपुर, आगरा–जयपुर–बीकानेर राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 तथा दिल्ली–मुम्बई विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रेलवे लाइन तथा जयपुर–बांदीकुई–आगरा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन द्वारा दे ा व राज्य के प्रमुख भाहरों से जुडा हुआ है।

2-2 Hkkfrd Lo:i vkj tyok;q%&

भरतपुर यमुना नदी के बेसिन में विपरीत ढलानों यथा उतर व दक्षिण दोनो ढलानों का संगम होने के कारण कटोरानुमा स्थलाकृति में है, जिसके कारण भाहर में बाढ के हालात उत्पन्न होते है। इन दोनों ढलानों के संगम का बहाव पूर्व की ओर यमुना व चम्बल के संगम स्थल इटावा की तरफ है। बाढ का पानी भरतपुर भाहर के निचले क्षेत्रों में भरता है। इसे नियंत्रित व संग्रहित विभिन्न बांधों व जला ायों में किया जाता है, जिसमें मोती

झील के साथ सिटी फ्लड़ कन्ट्रोल ड्रेन (सीएफसीडी) गिर्राज नहर व गोवर्धन नहर की मुख्य भूमिका है। यह पानी अनियंत्रित रूप से भाहर के दक्षिणी, दक्षिणी–पूर्वी व पि चम के निचले क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाता है। बाढ का यह अनियंत्रित पानी किले के चारों ओर बनी खाई (सुजान गंगा) को भरने में काम आता है, जो वर्श पर्यन्त पानी से भरी रहती है। छिछले व दलदली क्षेत्र के कारण ही भरतपुर में प्राकृतिक वन्य जीवन एवं वनस्पति सम्पदा से परिपूर्ण वि व विख्यात केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) है। नवीनतम सुदूर चित्रण यह परिलक्षित करता है कि यह निचला क्षेत्र पूर्व में यमुना के छोडे हुए घुमाव (Meander) का भाग है।

भरतपुर भाहर एवं इसके आस पास प्राक अभिनव जलोढ मृदा (ओलडर एल्युवियम) पाई जाती है, जिसके कण महीन होते है। फलस्वरूप कणों के बीच रिक्त स्थान कम रहता है व पानी सोखने की क्षमता कम होती है। प्राक अभिनव जलोढ मृदा के साथ–साथ इसमें लवणीय तत्व 2000 ईसी से लेकर 8000 ईसी से भी ज्यादा पाये गये है। इस कारण इसमें खार की समस्या रहती है। जब इस मृदा पर पानी पडता है तो लवणीय तत्व पानी में घुल जाते हैं तथा मिट्टी के छिद्रों को और भी बन्द कर देते हैं, जिससे पानी सोखने/रिसाव की क्षमता और भी कम हो जाती है। फलस्वरूप भाहर में जगह–जगह पर वर्श पर्यन्त जल भराव की समस्या बनी रहती है, जो भाहर में वि ाश्ट परिस्थितिजन्य प्रदूशण–मृदा, जल, वायु इत्यादि की समस्या को जन्म देती है। इससे स्वास्थ्य सम्बन्धित विकार उत्पन्न होते हैं।

मिट्टी में उपलब्ध लवणीय तत्व के कारण भरतपुर में सीलन की भी वि ाश्ट समस्या है। क्योंकि लवणीय तत्व के ि ाका क्रिया (Capillary Action) के कारण जमीन के ऊपर आ जाता है, जो आर्द्रताग्राही होने के कारण वायुमण्डलीय आर्द्रता को सोख लेते हैं, जिससे भवनों में सीलन की समस्या से आयु बहुत कम हो जाती है।

यहॉ की जलवायु गर्म, भुश्क व मानसूनी है, जिसमें उश्ण ग्रीश्म ऋतु, सर्द भीत ऋतु एवं लघु वर्शा ऋतु का सामंजस्य है। यहां औसत वार्शिक वर्शा 687.8 मिलीमीटर है। ग्रीश्म ऋतु में औसत अधिकतम तापमान 47^0 सेल्सियस व औसत न्यूनतम तापमान 26^0 सेल्सियस तथा भीत ऋतु में औसत अधिकतम तापमान 23^0 सेल्सियस व औसत न्यूनतम तापमान 7^0 सेल्सियस रहता है। केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) का क्षेत्र सर्वाधिक ठण्डा रहता है। ग्रीश्म ऋतु में तेज गर्मी पडती है, अधिकतम तापमान 48^0 सेल्सियस तक पहुंच जाता है तथा धूल भरी हवाओं के कारण असुविधाजनक स्थिति बन जाती है। भीतकाल में पि चमी हवाओं के उत्तरी भारत से गुजरने के कारण तापमान कई बार जमाव बिन्दु तक पहुॅच जाता है। ग्रीश्म काल में हवाऍ उत्तर–पूर्व तथा दक्षिण–पि चम रहती हैं। मानसून के समाप्ति काल व सर्दियों में हवाऍ मुख्यतया पि चम तथा उत्तर दि ाओं के मध्य चलती हैं।

2-3 ऐतिहासिक पृश्ठभूमि&

मत्स्य संघ निर्माण (मार्च 18, 1948 ईस्वीं) से पूर्व भरतपुर भाहर जाट प्र ाासित राज्य की समृद्ध, सम्पन्न, वैभव ाली राजधानी तथा बृज संस्कृति का केन्द्र रहा है। इस भाहर का नाम भरतपुर रखे जाने के बारे में दो विचार धाराऐं प्रचलित है। पहली विचार धारा के अनुसार भरतपुर का नाम अयोध्यापति भगवान श्रीराम के भाई भरत के नाम पर रखा गया जिनके अन्य दूसरे भाई लक्ष्मण की पूजा भरतपुर रियासत के राज परिवार द्वारा की जाती थी तथा भरतपुर की राज पताका पर भी उनका प्रतीक चिन्ह अंकित किया गया। दूसरी विचारधारा (सूदनकृत सुजान चरित्र) के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भरतपुर भाहर एक निचला क्षेत्र था जिसे ''भरत'' अर्थात भरकर बसाया गया, इसलिए इस भाहर का नाम भरतपुर पड़ा। भारतीय जनगणना निदे ालय द्वारा प्रथम विचार धारा को माना गया है।

भरतपुर के पूर्व भाासक सिनसिनवार जाति के जाट थे जो जादौन राजपूत मदनपाल जो कि ग्यारहवीं भाताब्दी में बयाना का भाासक था, के वं ाज बताये जाते हैं। वर्श 1723 ईस्वी में भरतपुर राज्य की स्थापना हुई। वर्श 1733 में राजा बदनसिंह के पुत्र सूरजमल द्वारा खेमकरण सोगरिया से भरतपुर किले को जीतकर भरतपुर भाहर की नींव रखी गयी। भरतपुर राज्य को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय इसके भाासक राजा सूरजमल को जाता है। महाराजा सूरजमल ने बाहर का परकोटा और अन्दर का गढ बनवाना प्रारम्भ किया, जो वर्श 1737 में पूर्ण हुआ। पहले भाहर के चारो ओर परकोटा व इसके बाहर खाई बनायी, जिसकी चौडाई 200 फीट से 250 फीट तथा गहराई 30 फीट थी। परकोटा की ऊंचाई धरातल से 60 फीट थी। परकोटा पर 40 बुर्ज बनवाई गयी थी। परकोटे में आने जाने के लिए 8 दरवाजें एवं 2 पोल (गेट) क्रम ाः 1. मथुरा गेट 2. बीनारायण गेट 3. अटल बन्ध गेट 4. नीमदा गेट 5. अनाह गेट 6. कुम्हेर गेट 7. गोवर्धन गेट 8. जघीना गेट 9. सूरजपोल तथा 10. चांदपोल गेट बनवाये गये थे। तत्प चात महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय (सन् 1764 ईस्वीं) के उपलक्ष में दिल्ली दरवाजा निर्मित करवाया। परकोटे के अन्दर उतर–दक्षिण लम्बाई 1 मील से कुछ अधिक तथा पूरब–पि चम चौडाई एक मील से कुछ कम थी। परकोटे में किला ठीक मानव ह्रदय के स्थान पर अवस्थित किया गया। इसके चौबुर्जा तथा अश्ठ धातु नाम के दो द्वारा तथा ऊपर दुर्गम आठ बुर्ज है। इस गढ (किला) के चारों ओर सुजान गंगा नाम की 1 मील लम्बी नहर बनवाई गयी, जो 150 फीट से 250 फीट चौडी तथा 30 फीट से 40 फीट गहरी है। हथेली के मध्य भाग की तरह किला समीपवर्ती भूमि के सबसे नीचे भाग में बनाया गया जिसकी माध्य समुद्र तल से ऊॅचाई 562 फीट है। इसके दो लाभ थे, प्रथम मोती झील बांध से छोडा हुआ पानी जिसका जल स्तर 572 से 573 फीट रहता था, भूमि के लेवल 565 फीट से सुगमता से नहर के चारों ओर भर जाता था, जो भाहर के आसपास के कुओं का जल स्तर बनाये रखते हुये क्षारीय भूमि में मीठा पानी उपलब्ध कराकर पेयजल समस्या के साथ–साथ भात्रु से रक्षा करता था। दूसरा यह कि भात्रु के तोपखाने का प्रभाव मिट्टी की दीवारों पर न्यूनतम होता

था और किला सुरक्षित रहता था। इस किले को किसी ने भी नहीं जीता एवं अजय और अपूर्व रहा जिसके कारण यह ''लौहागढ'' कहलाया।

जामा मस्जिद व गंगा मंदिर की नींव महाराज बलवन्त सिंह द्वारा 1845 ईस्वीं में रखी गई। इसके प चात महाराज जसवंत सिंह (1853–1893 ईस्वी) द्वारा जिन्हें भरतपुर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। रेल व सडक मागों का विकास, औद्योगिक विकास, विद्युत उत्पादन का प्रारम्भ तथा ि ाक्षा का विस्तार किया गया। रूपारेल नदी से कम पानी आने पर सुजान गंगा को अटल बन्ध से भरना प्रारम्भ किया। बाद में महाराजा कि ान सिंह ने आजान बांध से रामनगर में दो मोरा चेनल बनवाकर उसमें एक मोरी जिसका नाम मोरी बाग पडा, पानी भरने के लिए निकलवायी। यह व्यवस्था अब समाप्त सी होती जा रही है।

सन् 1873 ईस्वीं में छोटी रेल लाईन एवं 1909 ईस्वीं में बडी रेल लाईन की स्थापना होने से भाहर का सम्पर्क दे ा के प्रमुख महानगरों से स्थापित हो गया, जिससे भाहर के विकास में तेजी आई। उन्नीसवीं भाताब्दी के मध्य सरकूलर रोड के निर्माण के प चात् भाहर का विस्तार परकोटे के बाहर उत्तर व पूर्व की ओर होना प्रारम्भ हो गया। स्वतंत्रता के प चात् ''सिमको'' रेल के डिब्बे बनाने के उद्योग की स्थापना सन् 1956–57 ईस्वीं में होने के फलस्वरूप सरकूलर रोड तथा रेलवे स्टे ान के मध्य में भाहर का विस्तार होना भाुरू हो गया। नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा सरकूलर रोड के बाहर कृश्णा नगर, रणजीत नगर, जवाहर नगर, राजेन्द्र नगर व अन्य आवासीय योजनाओं का विकास किया गया। जसवंत मेला प्रर्द ानी स्थल के समीप ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, द्वारा बस स्टेण्ट की स्थापना की गई। नुमाई ा रोड पर व्यावसायिक गतिविधयॉ विकसित हुई।

जिला कलक्टर कार्यालय व न्यायालय परिसर फतेहपुर सीकरी रोड पर विकसित किये गये। न्यास द्वारा भाहर की पूर्व दि ाा में आगरा रोड पर जवाहर नगर व राजेन्द्र नगर, अछनेरा रोड पर कृश्णा नगर तथा उत्तर–पि चम दि ाा में डीग रोड पर भयामाप्रसाद मुखर्जी नगर आवासीय योजना विकसित की। नवीन कृशि उपज मण्डी प्रांगण, ऑटोमोबाईल वर्क ाप व ट्रान्सपोर्ट नगर योजना डीग रोड पर, वि व प्रिय भाास्त्री उद्यान केवलादेव के सामने राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर तथा ग्रामीण हाट योजना कम्पनी बाग में सरकुलर रोड पर विकसित की गई। भाहर के पि चम में सेवर रोड पर राश्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवर विकसित किया गया। इस तरह भाहर का विकास दक्षिण दि ाा में स्थित केवलादेव राश्ट्रीयय उद्यान के अतिरिक्त अन्य सभी दि ाओं में तेजी से हुआ।

2-4 tukfdh

भरतपुर राजस्थान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित है। भरतपुर में वर्श 1901 से वर्श 1931 तक के द ाकों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। वर्श 1901 में जनसंख्या 43,601 व्यक्ति जो वश 1931 में घट कर 30,173 व्यक्ति रह गई। इस दौरान जनसंख्या में कमी का मुख्य कारण इस क्षेत्र में अकाल, सूखा व महामारी रहे। वर्श 1931 के प चात् भाहर की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि रही। 1931–41 के द ाक में 17.

79 प्रति ात वृद्धि दर के साथ जनसंख्या 35,541 व्यक्ति हो गई। 1941–51 के द ाक में दे ा का विभाजन होने के फलस्वरूप 1780 व्यक्तियों की वृद्वि के साथ वृद्धि दर केवल 5 प्रति ात दर्ज की गई।

वर्श 1951 के प चात् दे ा के अन्य भाहरों की तरह भरतपुर में भी जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। द ाक 1961–71 के मध्य जनसंख्या समान्य द ाक वृद्धि दर 40.43 प्रति ात रही, जो 1971–81 के मध्य बढ कर 50.60 प्रति ात हो गई। द ाक 1971–81 के मध्य उच्च वृद्धि दर का मुख्य कारण भरतपुर नगर परिशद की सीमा का बढाया जाता है। द ाक 1981–91 व 1991–2001 में जनसंख्या सामान्य द ाकीय वृद्धि क्रम ाः 49.02 प्रति ात एवं 30.82 प्रति ात रही। वर्श 2001 में भरतपुर की जनसंख्या 2,05,235 दर्ज की गई। भाहर में यहां की प्रमुख औद्योगिक ईकाईयॉ यथा डालमिया डेयरी तथा सिमको वेगन फैक्टरी आदि उद्योग बन्द होने से भाहर की जनसंख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पडा है। वर्श 1901 से वर्श 2001 तक भरतपुर की जनसंख्या की समान्य द ाकीय वृद्धि दर तथा वार्शिक वृद्धि दर की प्रवृति तालिका–1 में द ार्यी गई हैः–

rkfydk&1
tul[;k of) dh iofr] Hkjrij 1901&2001

d- l-	वर्श	tul[;k	vUrj	सामान्य द□ाकीय वृद्धि दर प्रति□ात	वार्शिक of) nj प्रति□ात
1	1901	43,601	-	-	-
2	1911	33,918	(-)9683	(-)22.21	-2.48
3	1921	33,495	(-)423	(-)1.25	-0.12
4	1931	30,173	(-)3322	(-)9.92	-1.03
5	1941	35,541	(+)5,368	(+)17.79	+1.65
6	1951	37,321	(+)1,780	(+)5.01	+0.48
7	1961	49,776	(+)12,455	(+)33.37	+2.92
8	1971	69,902	(+)20,126	(+)40.43	+3.45
9	1981	1,05,274	(+)35,372	(+)50.60	+4.17
10	1991	1,56,880	(+)51,606	(+)49.02	+4.06
11	2001	2,05,235	(+)48,355	(+)30.82	+2.72

स्त्रोतः– जनगणना, 1991 एवं 2001

2-5 0;kolkf;d lajpuk

वर्श 1991 की जनगणना के अनुसार भरतपुर में कुल जनसंख्या का 25.56 प्रति ात व्सक्ति कार्या ील थे। जबकि राजस्थान राज्य के कार्य ील व्यक्तियों का अनुपात 25.85 प्रति ात था। वर्श 2001 में 54,789 (26.7 प्रति ात) व्यक्ति कार्य ील थे।

वर्श 2001 में कुल कार्य ील व्यक्तियों का 4.75 प्रति ात प्राथमिक क्षेत्र यथा का तकार, कृशि, वानिकी, खनन एवंम् तत्संबंधी कार्यों में नियोजित थे। उद्योग एवं निर्माण कार्यों में क्रम ाः 23.5 प्रति ात एवं 7.00 प्रति ात कार्यरत थे तथा भोश 64.75 प्रति ात कार्य ील व्यक्ति, तृतीय क्षेत्र यथा व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन एवंम् संचार तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत थे। भरतपुर जिला मुख्यालय के साथ–साथ नवनिर्मित सम्भाग का मुख्यालय होने के कारण यहां पर सर्वाधिक कार्य ील व्यक्ति अन्य सेवाओं में 33.00 प्रति ात, उद्योग में 23.50 प्रति ात तथा व्यापार एवं वाणिज्यिक कार्यों में 22.50 प्रति ात कार्यरत थे। व्यावसायिक संरचना के आधार पर भरतपुर को अन्य सेवा, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तालिका 2 में वर्श 1991 एवं वर्श 2001 की व्यावसायिक संरचना द ार्ई गई है।

rkfydk&2
0;kolkf;d lajpuk] Hkjrij 1991&2001

d- l-	0;olk;	1991		2001	
		0;fDr	प्रति□ात	0;fDr	प्रति□ात
1	का तकार, कृशि मजदूर, वानिकी खनन एवं तत्संबंधित कार्य	4,074	10.16	2,601	4.75
2	उद्योग	8,738	21.79	12,876	23.50
3	निर्माण	2,523	6.29	3,836	7.00
4	व्यापार एवं वाणिज्य	8,351	20.83	12,328	22.50
5	परिवहन एवं संचार	3,417	8.52	5,068	9.25
6	अन्य सेवाएँ	12,998	32.41	18,080	33.00
	योगः–	40,101	100.00	54,789	100.00

स्त्रोतः– जनगणना 1991 एवं 2001

2-6 fo|eku Hkw&mi;ksx

राज्य के पूर्वी भाग में स्थित कृशि प्रधान प च्य–प्रदे ा (Hinterland) का भरतपुर भाहर न्यास द्वारा विकसित योजना क्षेत्रों को छोडकर अनियोजित व यदृच्छ रूप में आवासित है। सरकूलर रोड का भीतरी क्षेत्र उच्च घनत्व वाला, अव्यवस्थित, सर्पाकार, तंग गलियों के साथ बसा हुआ है। जहॉ खुले स्थानों का अभाव है तथा बाहरी क्षेत्र कम घनत्व वाला है। वाणिज्यिक गतिविधयां सामान्यतः सडकों के सहारे चल रही हैं, जहॉ पार्किंग व्यवस्था नहीं है। विद्यमान भू–उपयोग की प्रमुख वि ोशता, वि ोशकर सरकूलर रोड के भीतरी क्षेत्रों तथा समान्यतः बाहरी अनियोजित क्षेत्रों में मिश्रित भू–उपयोग है। सन् 1961 के प चात जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, लेकिन इस दौरान वांछित योजना मानदण्डों के आनुपातिक दृश्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा आमोद–प्रमोद की सुविधाओं का विकास व विस्तार न होने के फलस्वरूप ये सुविधाएँ अपर्याप्त है। सुजान गंगा व सी.एफ.सी.डी का जल प्रवाह बाधित है। भाहर में नालियां खुली एवं अनुपयुक्त होने के कारण वर्शा ऋतु का पानी प्रायः सडकों पर एकत्रित हो जाता है। पूरे भाहर में जगह–जगह छोटे–बडे आकार के जल भराव क्षेत्र है। परिसंचरण व्यवस्था भी बहुत ही अव्यवस्थित है तथा भाहर में आवागमन व यातायात के लिए वांछित न्यूनतम सडक मार्गाधिकार उपलब्ध न होकर, वि ोशकर सरकूलर रोड के भीतरी क्षेत्र में सर्पाकार/आडी–तिरछी तंग गलियां उपलब्ध है। भाहर औद्योगिक विकास की दृश्टि से पिछडा हुआ है।

भरतपुर नगर परिशद क्षेत्र 51.41 वर्ग किलोमीटर (12700 एकड) है, जिसमें से केवल 5093 एकड नगरीयकृत क्षेत्र है। भोश भूमि रिक्त है व कृशि कार्यों के लिये उपलब्ध है। नगरीयकृत क्षेत्र में से 3822 एकड (75.04 प्रति ात) भूमि विकसित तथा 1271 एकड (24.96 प्रति ात) भूमि कृशि पौध ाालाऐं, बगीचे, रिक्त भूमि, राजकीय आरक्षित तथा जला ाय व नालों के रूप में है।

विकसित क्षेत्र का लगभग 48.77 प्रति ात क्षेत्र आवासवीय उपयोग में है। भरतपुर, जिला मुख्यालय के साथ नवनिर्मित सम्भाग का मुख्यालय होने के कारण सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक उपयोग तथा राजकीय–सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय के अन्तर्गत भूमि क्रम ाः 15.07 प्रति ात तथा 1.07 प्रति ात है। रेलवे के अधिकार क्षेत्र में पर्याप्त भूमि हैं। राश्ट्रीय राजमार्ग एवं बाईपास सडक भाहर में से होकर गुजरती है। भरतपुर, प्रारम्भ से ही अपने आसपास के कृशि प्रधान प च्य–प्रदे ा (Hinterland) का वाणिज्यिक केन्द्र रहा है। यहां वाणिज्यिक क्रियाकलापों के अन्तर्गत लगभग 5.4 प्रति ात तथा औद्योगिक के अन्तर्गत 9.0 प्रति ात भूमि का उपयोग हो रहा है।

सरकूलर रोड के अन्दर का क्षेत्र करीब 990 एकड है। जिसमें से करीब 80 एकड भूमि भाहर के चारो तरफ कच्ची दीवार (मड वाल) के अन्तर्गत आती है जो कि मुख्य रूप से अनाधिकृत आवासीय निर्माणों/अतिक्रमणों के कारण लुप्त होती जा रही है। भरतपुर का विद्यमान भू–उपयोग 2001 तालिका–3 में द ार्गाया गया है–

rkfydk&3
fo|eku Hk&mi;kx] Hkjrij&2001

d-l-	Hk&mi;kx	{k=Qy ¼,dM½	fodflr {k= का प्रति□ात	uxjh;d`r {k= dk प्रति□ात
1	आवासीय	1864.0	48.77	36.60
2	वाणिज्यिक	206.0	5.40	4.04
3	औद्योगिक	344.0	9.00	6.75
4	राजकीय–सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय	41.0	1.07	0.81
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	576.0	15.07	11.31
6	आमोद–प्रमोद	166.0	4.34	3.26
7	परिसंचरण	625.0	16.35	12.27
	विकसित क्षेत्र	3822.0	100	75.04
8	कृशि, पौध ालाएं व बगीचे, रिक्त भूमि	802.0	–	15.75
9	राजकीय आरक्षित	215.0	–	4.22
10	जला ाय, नाले	254.0	–	4.99
	uxjh;d`r {k=	5093		100-0

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

2-6 ¼1½ vkokl h;

भरतपुर में आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 1864.0 एकड है, जो विकसित क्षेत्र का 48.77 प्रति ात है। वर्श 2001 की जनगणना अनुमानों के अनुसार चारदीवारी के अन्दर स्थित वार्ड नं0 8, 10, 12, 15, 16, 19 व 30 में जनसंख्या घनत्व 200 से 350 व्यक्ति प्रति एकड से अधिक है। वार्ड नं0 9, 11, 18, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 38 में मध्यम दर्जे का जनसंख्या घनत्व 100 से 200 व्यक्ति प्रति एकड है। सरकूलर रोड के बाहर योजनाबद्ध रूप से विकसित आवासीय योजना क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 50 से 100 व्यक्ति प्रति एकड है।

2-6 ¼1½ v& dPph cfLr ;k

भाहर में 18 कच्ची बस्तियां है, जिनमें 4,011 परिवार रहते हैं। इनमें से 7 कच्ची बस्तियां जिनमें परिवारों की संख्या 953 है, नगर सुधार न्यास, भरतपुर के क्षेत्र में है व 11 कच्ची बस्तियां जिनमें परिवारों की संख्या 3058 है, नगर परिशद, भरतपुर क्षेत्र में है। इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले अधिकां ा व्यक्ति उद्योग, निर्माण व अन्य कार्यों में कार्य करने वाले श्रमिक है, जो समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से आये हुए हैं।

2-6 ¼2½ okf.kfT;d

भरतपुर भाहर में वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्य रूप से भाहर के परकोटे के अन्दर मथुरा गेट से कुम्हेर गेट को मिलाने वाली प्रमुख सडक के दोनों ओर केन्द्रित है। भरतपुर भाहर में पंजीकृत दुकानों की संख्या 4333 है। मथुरा गेट से भाहर के भीतर प्रवे ा करने पर जनाना अस्पताल के समीप चौबुर्जा बाजार, गंगा मन्दिर, जामा मस्जिद क्षेत्र, लक्ष्मण मन्दिर, कोतवाली व बडा बाजार आदि में इस सडक के प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधयां विद्यमान है। लक्ष्मण मन्दिर के आस–पास का क्षेत्र भाहर की विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है। इसके अतिरिक्त अटलबंध मण्डी, अनाह गेट सडक व परकोटे के भीतर विभिन्न मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियॉ विद्यमान हैं। हीरादास बस स्टेण्ड से कुम्हेर गेट तथा डीग रोड पर मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल व्यवसाय विकसित हो गया हैं।

इसके अतिरिक्त भाहर के मुख्य सडकों यथा सरकूलर रोड, डीग रोड, स्टे ान रोड, अछनेरा रोड, जयपुर रोड आदि पर वाणिज्यिक गतिविधयॉ है। इस प्रकार वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्यतः आवागमन हेतु प्रमुख सडकों के दोनों ओर विकसित है, जिससे इन सडकों पर यातायात का सुगम संचालन बाधित होता है। हीरादास बस स्टेण्ड से कुम्हेर गेट चौराहा व इसके आस–पास का क्षेत्र तथा डीग रोड पर सडक के दोनों तरफ मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल रिपेयर व्यवसाय विद्यमान है। नीवन ए श्रेणी की कृशि उपज मण्डी राजस्थान राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा डीग रोड पर विकसित की गई है, जिसमें अनाज व अन्य जिन्सों का थोक व्यापार किया जाता है। सब्जी मण्डी भी इसी प्रांगण में स्थित है। इसके अतिरिक्त स्टे ान रोड पर स्थित अनाज मण्डी मुख्यतः अनाज के खुदरा व्यापार व भण्डारण का एक प्रमुख केन्द्र है। भण्डारण हेतु भारतीय खाद्य निगम के गोदाम मथुरा रोड पर व राजस्थान भण्डारण निगम के गोदाम स्टे ान रोड पर स्थित है। इसके अतिरिक्त रीको क्षेत्र में भी गोदाम है।

नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा न्यास की योजनाओं में वाणिज्यिक केन्द्र विकसित किये गये हैं, जिनमें रनजीत नगर योजना, कृश्णा नगर योजना, पुराना बस स्टेण्ड व्यावसायिक योजना, सुपर मार्केट व्यावसायिक योजना आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त नगर सुधार न्यास भरतपुर के द्वारा भाहर की ट्रन्सपोर्ट व्यावसाय की समस्या के समाधान तथा हीरादास बस स्टेण्ड से कुम्हेर गेट एवं डीग रोड व अन्य क्षेत्रों में कार्यरत ऑटोमोबाईल व्यवसाय के सुनियोजित विकास हेतु डीग रोड पर ट्रान्सपोर्ट नगर तथा ऑटोमोबाईल योजना हाल ही में विकसित की गई है । केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) पर्यटकों के लिये आकर्शण का केन्द्र है। पर्यटकों की सुविधा के लिए भाहर के

विभिन्न भागों में मुख्य रूप से मध्यम श्रेणी के होटल कार्यरत है। विद्यमान भू–उपयोग 2001 के आंकलन अनुसार भरतपुर भाहर में करीब 206 एकड क्षेत्र वाणिज्यिक भू–उपयोग के अन्तर्गत है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 5.4 प्रति ात है।

2-6 ¼3½ vk|kfxd

भरतपुर भाहर औद्योगिक विकास की दुश्टि से पिछडा हुआ है। वर्श 1991 की जनगणना के अनुसार 8738 व्यक्ति (कुल कार्यरत व्यक्तियों का 21.79 प्रति ात) औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत थे, तथा वर्श 2001 की जनगणना व नगर नियोजन विभाग के अनुमान अनुसार 12,876 व्यक्ति उद्योगों में कार्यरत है। इस तरह कुल कार्यरत व्यक्तियों का 23.50 प्रति ात विभिन्न उद्योगों में कार्यरत है। भरतपुर भाहर व जिले में औद्योगिक विकास में निम्नांकित दो कारणों से राजस्थान प्रदूशण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रदूशण युक्त औद्योगिक ईकाई के स्थापना पर रोक लगा रखी है।

1. केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार):– इसके संरक्षण हेतु केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान (घना) से 20 किलोमीटर तक की दूरी तक कोई प्रदूशण युक्त औद्योगिक ईकाई स्थापित नहीं की जा सकती।

2. ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र:– वि व प्रसिद्ध ताज महल, आगरा के संरक्षण के लिए प्रदूशण युक्त उद्योग की स्थापना पर पाबन्दी लगी हुई है, जिसके क्षेत्र की सीमा भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र तक चिन्हित की गयी है।

भरतपुर के पुराने औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख औद्योगिक ईकाई सेन्ट्रल इण्डिया म ाीन मेन्यूफेक्चरिंग कम्पीन (सिमको) वेगन फैक्टरी की वर्श 1956–57 में स्थापना के साथ भाहर में औद्योगिक विकास का प्रारम्भ हुआ। इस इकाई के परिसर में आवासीय क्षेत्र है। इसमे 2055 श्रमिक कार्यरत थे। वर्तमान में यह ईकाई बन्द है। इसके अतिरिक्त जनरल इंजिनियरिंग वर्क्स डालमिया डेयरी प्रोजेक्ट (औद्योगिक क्षेत्र के बाहर) भाहर की दो बडी औद्योगिक ईकाईयां थी, जो काफी समय से बंद है। इन बडे औद्योगिक प्रतिश्ठानों के बन्द होने के कारण भरतपुर भाहर की आर्थिक स्थिति पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। परफेक्ट सेनेट्री पाईप औद्योगिक ईकाई वर्तमान में चालू है।

भाहर में औद्योगिक गतिविधियों के सुनियोजित विकास हेतु राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) द्वारा वर्श 1984 में करीब 240 एकड भूमि में ब्रज औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया, जिसमें 260 औद्योगिक भू–खण्ड अन्य सुविधाओं के साथ रखे गये। इनमें से 225 भूखण्ड आवंटित किये गये व 35 भूखण्ड रिक्त हैं। सरसों भरतपुर क्षेत्र की एक प्रमुख फसल है जिसके फलस्वरूप भरतपुर सरसों तेल उत्पादन में अग्रणी है। यहॉ सरसों तेल उत्पादन की 109 औद्योगिक इकाइयॉ हैं, जिनमें 987 श्रमिक कार्य ाील है। भरतपुर क्षेत्र के सरसों उत्पादन की महत्ता के मद्देनजर सेवर

रोड पर राश्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त भाहर में विभिन्न लघु व मध्यम औद्योगिक इकाइयॅ यथा कृशि उपकरण, टीन कन्टेनर, हथ करघा उद्योग, लोहा उद्योग, सेनेट्री पाइप, प ा आहार, इत्यादि भाहर के विभिन्न भागों में कार्यरत है। इस तहर औद्योगिक उपयोग हेतु कुल 344 एकड भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 9.0 प्रति ात है।

2-6 ¼4½ jkt dh;

2-6 ¼4½ v&l jdkjh ,o v)l jdkjh dk;kZy;

भरतपुर भाहर रियासत काल से ही प्र ाासनिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। स्वतन्त्रता के प चात् जिला मुख्यालय बनने के उपरांत प्र ाासनिक कार्यालयों में वृद्धि हुई। पुराने राजभवनों का राजकीय कार्यालयों में उपयोग किया गया व तत्प चात् कार्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ सरकूलर रोड के बाहर राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यालय एवं आवास बनाये गये। वर्तमान में जिला कलक्टर कार्यालय, जिला न्यायालय परिसर, सूचना केन्द्र आदि प्रमुख कार्यालय बिजली घर चौराहा के समीप फतेहपुर सकीरी रोड पर स्थित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस अधीक्षक, नगर सुधार न्यास, सर्किट हाऊस, डाक बंगला आदि अछनेरा रोड पर है। इसके अतिरिक्त अनेक सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय भाहर के विभिन्न भागों में कार्यरत है। कई कार्यालय भाहर के परकोटे के भीतर कार्यरत है। सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत 41 एकड भूमि है जो विकसित क्षेत्र का 1.07 प्रति ात है।

भाहर में 209 सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय है। इनमें से 8 केन्द्र सरकार, 112 राज्य सरकार, 42 अर्द्ध–राज्य सरकार, 6 स्थानीय निकाय व 41 अन्य कार्यालय है। तालिका संख्या 4 में सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों व कर्मचारियों की संख्या द ार्यी गई है।

Rkkfydk&4

l jdkjh ,o v)&l jdkjh dk;kZy;] Hkjriqj&2001

d-l-	dk;kZy;	dk;kZy;ksa dh l[;k	dk;jr deipkfj;ksa dh l[;k
1	केन्द्र सरकार	8	2,129
2	राज्य सरकार	112	9,892
3	अर्द्ध–सरकारी	42	2,089
4	स्थानीय निकाय	6	608
5	अन्य	41	1,054
;kx		209	15722

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

2-6 ¼4½ c&jkt dh; vkjf{kr {k=

राजकीय आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत 215 एकड भूमि है जो कुल नगरीयकृत क्षेत्र का 4.22 प्रति ात है।

2-6 ¼5½ lkoZtfud ,oa v)Z&lkoZtfud lfo/kk,a

सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत भौक्षणिक सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधॉ, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ, धार्मिक/ ऐतिहासिक/ सामाजिक – सांस्कृतिक, जनोपयोगी सुविधाएँ तथा भम ाान व कब्रिस्तान सम्मिलित है। भरतपुर भाहर में सन् 1961 के प चात जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई परन्तु इस दौरान वांछित योजना मानदण्डों की अनुपातिक दृश्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार व विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। सार्वजनिक व अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत विद्यमान भू–उपयोग 2001 के आंकलन के अनुसार लगभग 576 एकड भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 15.07 प्रति ात है।

2-6 (5) अ– भौक्षणिक सुविधाएँ

भरतपुर में 32 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 4 राजकीय व 28 निजी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। माध्यमिक स्तर के 74 विद्यालय हैं, जिनमें 6 राजकीय व 68 निजी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है। इन विद्यालयों में 24,797 छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें से 15,187 छात्र तथा 9,610 छात्रायें हैं। केन्द्रीय विद्यालय रीको रोड पर है, जो कि अंग्रेजी माध्यम से केन्द्रीय माध्यमिक ि ाक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय है।

उच्च प्राथमिक स्तर के 54 विद्यालय है, जिनमें 11 राजकीय व 43 मान्यता प्राप्त हैं। प्राथमिक स्तर के 32 विद्यालय हैं, जिनमें 25 राजकीय हैं। इन मान्यता प्राप्त व राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14,208 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जिला मुख्यालय होने के कारण आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी अध्ययन हेतु यहॉ आते हैं। इसी कारण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। मान्यता प्राप्त अधिकां ा विद्यालय निजी भवनों में हैं, जहां खेल–कूद हेतु पर्याप्त मैदान उपलब्ध नहीं हैं।

राश्ट्रीय स्तर का राश्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवर रोड पर स्थित है। उच्च अध्ययन हेतु स्नातकोत्तर स्तर का महारानी श्री जया कॉलेज अछनेरा रोड पर है, जिसकी स्थापना वर्श 1941 में की गई थी। छात्राओं हेतु आर0डी0 कन्या महाविद्यालय, महारानी श्री विदेहकौर कन्या महाविद्यालय तथा बी.एड. कॉलोज किला परिसर क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त अग्रसेन कन्या महाविद्यालय रणजीत नगर में है। तकनीकी ि ाक्षा हेतु पोलीटेक्नीकल कॉलेज राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर तथा औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थान रीको

औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। निजी कम्प्यूटर ि ाक्षा हेतु कई लघु व मध्यम दर्जे के संस्थान भाहर के विभिन्न भागों में संचालित है। वर्श 1991 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता दर 54.9 प्रति ात थी जो वर्श 2001 में बढकर 65.9 प्रति ात हो गई है, जिसमें पुरूश साक्षरता दर 60.8 प्रति ात तथा महिला साक्षरता दर 39.2 प्रति ात है। सामान्य ि ाक्षा के अन्तर्गत 182 एकड भूमि तथा तकनीकी ि ाक्षा के अनतर्गत 81 एकड भूमि है। इस तरह भौक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग हेतु कुल 263 एकड भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 6.9 प्रति ात है।

2-6 ¼5½ c& fpfdRlk lqfo/kk,¡

भाहर में सर्वप्रथम वर्श 1909 में विक्टोरिया अस्पताल की स्थापना सरकूलर रोड के अंदर मथुरा गेट के पास की गई तथा बाद में मथुरा गेट के पास ही जनाना अस्पताल स्थापित किया गया। सरकूलर रोड के बाहर कम्पनी बाग के पास राज बहादुर मेमोरियल राजकीय चिकित्सालय स्थित है। वर्तमान में मथुरा गेट के पास जनाना अस्पताल में महिला चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा व परिवार कल्याण, नेत्र चिकित्सा विभाग कार्यरत है तथा अन्य सभी विभाग यथा मेडीसन, चर्मरोम, हड्डी रोग, दांत रोग, जनरल सर्जरी आदि नवीन चिकित्सालय में कार्यरत है। सेवर रोड पर टी0बी0 अस्पताल स्थापित है। रेलवे स्टे ान के पास रेल्वे अस्पताल स्थित है। वेटेरीनरी अस्पताल कचहरी परिसर के पास स्थित है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय व होम्योपैथिक पद्धति के राजकीय चिकित्सालय भी भाहर में विद्यमान है। राजकीय अस्पताल में 300 व जनाना अस्पताल में 87 भौय्याओं की सुविधा उपलब्ध है। इस तरह भाहर में सरकारी क्षेत्र में 2 अस्पताल, 6 डिस्पेन्सरी एवं 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा निजी क्षेत्र में 8 अस्पताल एवं 9 नर्सिंग होम्स कार्यरत है। इस तरह 53 एकड भूमि इस प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 1.4 प्रति ात है।

2-6 ¼5½ l&vU; lkeqnkf;d lqfo/kk,¡

भरतपुर भाहर में वर्तमान में 1 ही क्लब है, जो कम्पीन बाग में स्थित है, जिसके मुख्यतः उच्च आय वर्ग के सीमित परिवार तथा राजकीय कर्मचारी सदस्य है। इसके अतिरिक्त भाहर में विभिन्न स्वयं सेवी संगठन कार्यरत है। भाहर में सार्वजनिक पुस्तकालय है, जिसमें विभिन्न पुस्तके, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक पत्रिकाऐं तथा समाचार पत्र अध्ययन हेतु उपलब्ध होते हैं। मुख्य डाकघर पाईबाग में स्थित है एवं सिटी डाकघर जामा मस्जिद के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त आव यकतानुसार भाहर के विभिन्न भागों में 15 डाकघर संचालित हैं। भाहर में टेलीफोन केन्द्र है जिसके तहत 19,122 टेलीफोन कनेक ान दिये गये है। कानून व्यवस्था व सुरक्षा की दृश्टि से पुलिस विभाग का व्यापक प्रबन्ध है। भाहर में उप महानिरीक्षक कार्यालय पदमविला में तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय अछनेरा रोड पर है। इसके अतिरिक्त भाहर में पुलिस की विभिन्न स्तरीय व्यापक व्यवस्था है जिसमें पुलिस थाने व पुलिस चौकियां हैं। अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत 47 एकड भूमि उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 1.2 प्रति ात है।

2-6 ¼5½ n&/kkfeZd@,sfrgkfld LFky@lkekftd&lkaLd`frd½

भरतपुर पूर्वी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण भाहर है। जो अपने धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। प्रमुख धार्मिक स्थल जामा मस्जिद, गंगा मंदिर व लक्ष्मण मन्दिर है। जामा मस्जिद व गंगा मन्दिर की नींव महाराज बलवन्त सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में रखी गई। दो सौ पचहतर फीट लम्बे और दो सौ फीट चौडे क्षेत्र व अस्सी खम्भों पर टिके इस मन्दिर की निर्माण भौली यूरोपीय है व पीछे की दक्षिणी भारतीय है। इस पूरे मन्दिर का निर्माण पत्थर में खॉचे काटकर, पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर, पीतल की ग्रिप लगाकर हुआ है।

ऐतिहासिक स्थलों में लोहागढ दुर्ग, मोती महल, भरतपुर संग्रहालय, विक्टोरिया अस्पताल आदि प्रमुख हैं। भरतपुर का ऐतिहासिक किला लोहागढ दुर्ग अपनी वि ाश्ठ स्थापत्य भौली तथा अजेयता के कारण, दे ा के कतिपय प्रसिद्ध दुर्गों में अपना वि ोश स्थान रखता है। महाराजा का ''मोती महल'' भाहर से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर सन् 1905 में गोल बाग में बनाया गया था।

जसवंत प्रद र्ानी एवं मेला जो प्रतिवर्श विजय द ामी के पावन अवसर पर आि वन भाुक्ला पंचमी से आि वन भाुक्ला चतुर्द ी तक आयोजित किया जाता है, भरतपुर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेला पर्व है। इसके अतिरिक्त विभिनन पर्वों पर सभी समुदायों द्वारा धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। धार्मिक/ ऐतिहासिक स्थलों/ सामाजिक–सांस्कृतिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग हेतु कुल 130 एकड भूमि है जो विकसित क्षेत्र का 3.4 प्रति ात है।

2-6 ¼5½ ;& tukis;ksxh lqfo/kk,¡

जनोपयोगी सुविधाओं के अन्तर्गत 55 एकड भूमि उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 1.4 प्रति ात है।

2-6 ¼5½ ;& ¼i½ tykiwfrZ

भरतपुर में जलापूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बंध बारेठा, भाहर में स्थित 32 ट्यूब वैल व मण्डोली–पिचूना हैड से की जाती है। औसतन जलापूर्ति 42.0 लाख गेलन प्रति दिन है जो करीब 78 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत जल कनेक ान तालिका–5 में द ार्ये गये हैं:–

Rkkfydk&5
tykiwfrZ] Hkjriqj&2003

d-l-	mi;ksx	जल कनेक्□ान की संख्या
1	आवासीय	19,318
2	व्यावसायिक	710

3	औद्योगिक	482
4	अन्य	76
;kx		20]586

स्त्रोतः— नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

भविश्य में भाहर में जलापूर्ति की गुणवता में सुधार एवं विस्तार हेतु धौलपुर—भरतपुर चम्बल परियोजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

2-6 ¼5½ ;& ¼ii½ ty&ey fudkl ,o Bkl dpjk fuLrkj.k ic/ku

भरतपुर में जल—मल निकास की पर्याप्त सुचारू व्यवस्था नहीं है। भाहर में नालियां खुली एवं अनुपयुक्त होने के कारण वर्शा ऋतु में पानी प्रायः सडकों पर एकत्रित हो जाता है, परिणामस्वरूप यातायात में व्यवधान पैदा होता है। सरकूलर रोड के अन्दर निर्मित आवासीय क्षेत्रों का गन्दा पानी खुली नालियों के माध्यम से भाहर की बाहरी खाई व सुजान गंगा में निस्तारित किया जाता है जिसके फलस्वरूप रियासत काल में जो सुजान गंगा अपने स्वच्छ जल व घाटों के लिये प्रसिद्ध थी, अब वह प्रदूशित है।

भरतपुर भाहर में कई नाले व नहरें हैं, जो कि वर्शा ऋतु में जल निकासी का मुख्य साधन है। वर्शा ऋतु में पानी उत्तर—पि चम से दक्षिण पूर्व की ओर होता हुआ मुख्य केनाल के माध्यम से भाहर से बाहर निकाला जाता है। रियासत काल में सुरक्षा की दृश्टि से बनाई गई बाहरी खाई व मिट्टी की दीवार अतिक्रमण से प्रभावित है, जिससे जल निकासी में अवरोध पैदा होता है। भौगोलिक स्थिति तथा जल—मल निकास की सुचारू व्यवस्था के अभाव में भरतपुर भाहर वर्शा ऋतु में अत्यधिक वर्शा के समय जल—भराव व बाढ के पानी से ग्रस्त हो जाता है।

गिर्राज केनाल तथा सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन द्वारा वर्शा ऋतु में बाढ के पानी को मुख्य केनाल में डालकर भाहर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन नहर पर अतिक्रमण के कारण सुचारू प्रबन्धन में बाधा उत्पन्न होती हैं इसी प्रकार भाहर में सरकूलर रोड के बाहर कृशि भूमि पर बनी अनाधिकृत कालोनियों में जल—मल निकास सुविधा का पूर्ण अभाव है।

भाहर में सीवरेज व्यवस्था नहीं है। न्यास द्वारा विकसित किये गये योजना क्षेत्रों तथा नवनिर्मित आवासगृहों के जल—मल निकास के लिये सैप्टीक टैंक का निर्माण किया जा रहा है। नगर परिशद, भरतपुर द्वारा सुजान गंगा के आस—पास के आवासीय क्षेत्र के गन्दे पानी को सुजान गंगा में निस्तारण को रोकने के लिये व इसे स्वच्छ जल से भरने के लिये योजना क्रियान्वित की जा रही है। नगर परिशद भरतपुर द्वारा ठोस कचरा निस्तारण हेतु अछनेरा रोड पर 2 किलोमीटर उत्तर दि ाा में आबादी से दूर नोह गांव के पि चम में 11.19 हैक्टेयर (27.65 एकड) भूमि कचरागाह के रूप में काम ली जा रही है, जिसका विकास कार्य प्रगति पर है।

2-6 ¼5½ ;& ¼iii½ fo|qr vkifr

भरतपुर में विद्युत आपूर्ति जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही है। विद्युत आपूर्ति हेतु एक 132 केवी ग्रिड सब स्टे ान मोती झील के पास, एक 220 केवी ग्रिड सब स्टे ान रीको एरिया में तथा छः 33 केवी ग्रिड सब स्टे ान यथा राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल के पास, हीरादास बस स्टेण्ड के पास, जनाना अस्पताल के पास, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, सारस चौराहे के पास तथा आगरा रोड पर घना पक्षी विहार के पास भाहर में स्थित है।

भाहर में विद्यमान विद्युत आपूर्ति नेटवर्क भाहर की वर्तमान आव यकताओं के परिपेक्ष में सुचारू विद्युत आपूर्ति हेतु पर्याप्त है। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा भाहर में दिये गये विद्युत कनेक ानों की संख्या तालिका 6 में द ार्यी गई हैः–

rkfydk&6
विद्युत आपूर्ति कनेक□ान, भरतपुर माह नवम्बर 2005

d-l-	miHkkx	विद्युत कनेक□ान की संख्या
1	आवासीय	27,579
2	वाणिज्यिक	6,833
3	औद्योगिक	975
4	स्ट्रीट लाईट	37
5	कृशि	173
6	अन्य	127
dqy&		35]724

स्तोत्रः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

2-6 (5) र–□म□ाान व कब्रिस्तान

भाहर में वर्तमान में 10 भम ाान घाट यथा 1. कुम्हेर गेट बाहर 2. अनाह गेट बाहर 3. बीनारायण गेट बाहर 4. नई मण्डी 5. पक्का बाग 6. सेवर 7. मालीपुरा 8. नोह गांव 9. तोंगा तथा 10 अनाह गांव है। पक्का बाग, मालीपुरा, नोह गांव, तोंगा तथा अनाह गांव के भम ाानों को छोड कर अन्य सभी भम ाानों में छाया, बैठने व पानी की समुचित व्यवस्था है। कब्रिस्तान भाहर में तीन स्थलों पर यथा 1. कुम्हेर गेट के बाहर ईदगाह कॉलोनी में 2. बीनारायण गेट के बाहर तथा 3. गोवर्धन गेट, मछली मौहल्ला है। भम ाान व कब्रिस्तान के अन्तर्गत 28 एकड भूमि उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 0. 73 प्रति ात है।

2-6 ¼6½ vkekn&iekn

आमोद–प्रमोद सुविधाओं यथा उद्यान, खुले स्थल, खेल के मैदान तथा मेले/पर्यटन सुविधाओं के अन्तर्गत 166 एकड भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 4.34 प्रति ात है एवं प्रति

सौ व्यक्ति लगभग 0.8 एकड हैं। यहॉ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि केवलादेव राश्ट्रीय पक्षी विहार का 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नगरीय भू–उपयोग का भाग नहीं होने के कारण इसे नगरीयकृत क्षेत्र में भाामिल नहीं किया गया है।

2-6 ¼6½ v&m|ku] [ky LFky ,o [ky d enku

भरतपुर में कम्पनी बाग भाहर का प्रमुख उद्यान एवं खुला स्थल है। इसके अतिरिक्त भाहर में महात्मा गांधी पार्क, नेहरू पार्क, भास्त्री पार्क व फुलवारी भाहर के मध्य स्थित है। नगर सुधार न्यास, द्वारा विकसित की गई विभिन्न आवासीय योजनाओं में स्थानीय आव यकताओं हेतु पार्क एवं खुले स्थल आरक्षित रखे गये है। केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान के सामने राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या–11 पर लगभग 12 एकड भूमि में वि व प्रिय भास्त्री उद्यान विकसित किया गया है जिसमें आमोद–प्रमोद हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हीरादास बस स्टेण्ड के समीप बहुआयामी जसवंत प्रद र्नी, मेला स्थल व खेल–कूद का मैदान भी है।

2-6 ¼6½ c&ely ,o Ik;Vu lfo/kk,

2-6 ¼6½ c ¼i½ ely

भरतपुर राजस्थान का कृशि एवं प ुपालन प्रधान जिला है। यहां के अजेय दुर्ग, पराक्रमी वीर, प्रख्यात साहित्यकार, कवि, उत्कृश्ट कला तथा समृद्ध संस्कृति के साथ यह स्थान प्रद र्नियों, पर्वों तथा विभिन्न मेलों की प्रमुख स्थली रहा है। जसवन्त प्रद र्नी एवं मेला जो प्रति वर्श विजय द ामी के पावन अवसर पर आ वन भाुक्ला पंचमी से आ वन भाुक्ला चतुर्द ी तक आयोजित किया जाता है, भरतपुर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मेला पर्व है तथा राजस्थान राज्य में लगने वाले राज्य स्तरीय प ु मेलों में अपना वि ाश्ट स्थान रखता है। इस मेले में प्रतिवर्श लाखों द र्क भरतपुर तथा सीमावर्ती राज्यों से आते हैं और अपनी आव यकताओं की पूर्ति के साथ इस बहुआयामी मेले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा खेलकूद, दौड, कु ती दंगल व सांस्कृतिक आयोजनों का भरपूर आनन्द लेते हैं। दौड में इनाम और कु ती दंगल में पहलवानों को इनाम के साथ जसवन्त केसरी, भरतपुर जिला केसरी, जसवन्त कुमार, जसवन्त बसन्त खिताब की उपाधियां दी जाती है। मेले में नौटंकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, प ु प्रतियोगिताओं इत्यादि का आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन राजस्थान राज्य प ु मेला अधिनियम (1963) अधिनियम संख्या 14 की धारा 2(4) के अधीन उप निदे ाक प ुपालन विभाग भरतपुर करता है।

मेले में तकनीकी सेमीनार का आयोजन किया जाता हैं। जिसमें प ु प्रबन्धन, नस्ल सुधार, पोशाहार, बीमारियों की रोकथाम व उपचार के अतिरिक्त अन्य विशय जैसे भेड, बकरी, मुर्गी पालन, मछली, मधुमक्खी पालन, आदि तथा जल एवं भू–संरक्षण, क्षारीय व लवणीय भूमि सुधार, संतुलित उर्वरक उपयोग एवं जैविक खादों का महत्व, फलदार व औशधीय पौधे, सब्जियों की खेती आदि के बारे में नई तकनीकी जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पर्वों पर विभिन्न समुदायों द्वारा धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

2-6 ¼6½ c ¼ii½ Ik;Vu lfo/kk,

केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) मानव निर्मित परिस्थितिकी तन्त्र का अनूठा उदाहरण है, जो भरतपुर कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर राश्ट्रीय राजमार्ग 11

पर 27^0 07′ 06′′ से 27^0 12′ 02′′ उत्तरी अक्षां ा तथा 77^0 29′ 05′′ से 77^0 33′ 09′′ पूर्वी दे ाान्तर के बीच लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में उश्ण कटिबन्ध (Tropical Zone) के अन्तिम छोर पर तथा सम ीतोश्ण (Temperate Zone) कटिबन्ध के भाुरूआत पर स्थित है, जिसके फलस्वरूप दोनों कटिबन्धों की जैविक व वनस्पतियों में अनूठे रूप से समृद्ध है। केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान पर्यटन के स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली–आगरा–जयपुर के मध्य, भरतपुर में स्थित होने के कारण यहां पर आने वाले दे ाी–विदे ाी पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

सन 1956 ईस्वी में घना पक्षी विहार को वन अभयारण्य घोशित किया गया। सन् 1981 में इसे राश्ट्रीय उद्यान (ने ानल पार्क) का दर्जा दिया गया तथा इसके साथ ही बाहरी गतिविधियों जैसे मवे ाी चराना व वाहनों का आवागमन कानूनन निशिद्ध कर दिये गये। सम्पूर्ण वि व में इसकी महत्ता को देखते हुए रामसर कन्वेन् ान (1981) के तहत यूनेस्को ने 1985 ईस्वी में इसे वि व धरोहर घोशित कर दिया।

29 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान में जन्तु व वनस्पतियों की जैविक विविधिता अनूठी व समृद्ध है। यह अभयारण्य घास के मैदान, दलदल व जलीय वनस्पति व जंगल तथा विविध प्रकार की जैव सम्पदा समेटे हुए है। यह पार्क वि व का बेहतरीन पक्षी अभ्यारण्य है, जहां लगभग 375 प्रजातियों के पक्षी तथा लगभग 372 प्रजातियों की वनस्पतियां भी रिकार्ड की गई है। इतने छोटे से भू–भाग में जन्तुओं की इतनी प्रजातियां वि व में अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। यही कारण है कि भरतपुर के इस उद्यान का नाम वि व मानचित्र पर दैदिप्यमान है। साईबेरियन सारस इस उद्यान का प्रमुख आकर्शण का केन्द्र है। भवेत धवल यह सारस सुदूर साईबेरिया से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर यहॉ पहुॅचती है। अन्य आकर्शित करने वाले पक्षियों में भारतीय सारस (Indian Crane), हवासील (Pelicon), पन कौआ (Cormorant), पनवा (Darter/Snake Bird), अंजन (Heron), धोक (Stork), चमचा (Spoonbill), राजहंस (Flamingos), सुर्खाब (Shelduck), सीखपर (Pintail), नीलसीर (Mallard), जांधिल (Painted Stork), हंस (Goose) इत्यादि हैं।

पर्यटन की दृश्टि से यद्यपि 12 महीने यहॉ पर्यटक आते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त मौसम अक्टूबर से मार्च तक ही है। तत्प चात् गर्मी के तेवर पर्यटकों की संख्या में कमी कर देते है। उद्यान में पर्यटकों के लिए फोरेस्ट लॉज, केन्टीन, भाांति कुटीर गेस्ट हाऊस, सुलभ भाौचालय व पीने का पानी उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त भाहर में कई होटल व गैस्ट हाऊस उपलब्ध हैं। भरतपुर भाहर में वर्शवार आये पर्यटकों की संख्या तालिका संख्या–7 में एवं भरतपुर भाहर में पर्यटकों के लिये उपलब्ध आवास व्यवस्था तालिका संख्या–8 में द ार्यी गई है:–

rkfydk&7
भरतपुर भाहर में वर्शवार आये पर्यटकां dh l[;k

d- l-	स्वदेी पर्यटक	विदेी पर्यटक	;kx	of) nj
1998	82,034	47,391	1,29,425	—
1999	1,02,195	47,396	1,49,591	+ 15.58
2000	1,11,238	52,260	1,63,498	+9.30

donykno राश्ट्रीय mद्यान में वर्शवार आये पर्यटकों की संख्या

क्र. सं.	स्वदे ी	छात्र	विदे ी	योग	कुल पर्यटकों का प्रति ात
1998	40,764	24,076	39,739	1,10,579	85.44
1999	51,138	25,905	37,663	1,14,706	76.68
2000	55,749	29,736	38,982	1,24,467	76.13

स्त्रोतः— नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

rkfydk &8
भरतपुर भाहर में पर्यटकों के लिये उपलब्ध आवास व्यवस्था

d- l	vkokl J.kh	l[;k	miyC/k dej	भौयाओं की l[;k
1	हेरीटेज होटल	1	26	52
2	मध्यम श्रेणी होटल	25	328	656
3	पेइंग गेस्ट हाउस	19	77	154
4	धर्म ाालाएं	5	78	156

स्त्रोतः— नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

घना पक्षी विहार के अतिरिक्त भरतपुर भाहर में मध्य–युगीन स्थापत्य कला से युक्त कि ोरी महल, लक्ष्मण मन्दिर, गंगा मंदिर, जामा मस्जिद व अश्ट धातु के दरवाजे द र्ानीय है। भरतपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बंधबारेंठा बांध भी एक रमणीय पर्यटन स्थल है। भरतपुर से 35 किलोमीटर दूर स्थित डीग, जल महलों व रंगीन फव्वारों के लिये विख्यात हे। वि व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी व धार्मिक नगरी मथुरा से 50 किलोमीटर की परिधि में स्थित है। अतः भरतपुर को एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की विपुल संभावनाएं हैं।

2-6 ¼7½ ifjlapj.k

परिसंचरण में यातायात व्यवस्था बस व ट्रक टर्मिनल तथा रेल सेवा सम्मिलित होती है, जिनके अन्तर्गत भरतपुर भाहर में लगभग 625 एकड भूमि उपयोग में आ रही है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 16.35 प्रति ात है।

2-6 ¼7½ v&;krk;kr 0;oLFkk

भरतपुर अपने समीपवर्ती राज्यों तथा दे ा के प्रमुख भाहरों से दिल्ली–मुम्बई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन व राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से सडक मार्ग द्वारा जुडा हुआ है। राज्य राजमार्ग संख्या 14 भरतपुर–अलवर व राज्य राजमार्ग संख्या 24 हिण्डौन–मथुरा द्वारा यह राज्य के समीपवर्ती प्रमुख भाहरों से जुडा हुआ है। आगरा–बांदीकुई–जयपुर मीटर गेज रेल लाईन की ब्रॉडगेज में अमान परिवर्तन के फलस्वरूप भरतपुर, राज्य की राजधानी जयपुर व आगरा से सीधे रेल मार्ग के माध्यम से दे ा के कई प्रमुख नगरों से रेल यातायात से जुड गया है।

भाहर के आंतरिक यातायात हेतु भाहर के परकोटे के चारों तरफ सरकूलर रोड प्रमुख सडक है जिसकी चौडाई 80 से 120 फीट है। भाहर की चार दीवारी के अन्दर विकसित क्षेत्र एवं सरकूलर रोड के बाहर विकसित क्षेत्र को सरकूलर रोड, राश्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों से जोडती है। जयपुर रोड से मथुरा की तरफ आने जाने वाले भारी वाहनों के यातायात को भाहर के बाहर से निकालने की दृश्टि से मथुरा वाईपास सडक हाल ही में निर्मित की गई है। सरकूलर रोड के अन्दर पुराने भाहर में सडकें सकडी तथा टेढी–मेढी हैं, जिन पर अत्यधिक भीड रहती है। मथुरा गेट से कुम्हेर गेट प्रमुख सडक के दोनों ओर वाणिज्यि गतिविधयां केन्द्रित होने के कारण यातायात सामान्यतः अव्यवस्थित रहता है। पार्किंग हेतु समुचित स्थल नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में यातायात में अधिका ातः व्यवधान होता है।

भाहर सौन्दर्यकरण कार्यक्रम के तहत नगर सुधार न्यास तथा नगर परिशद, भरतपुर के द्वारा मुख्य सडकों पर चौराहों का निर्माण व सुधार किया गया, जिनमें से हीरादास बस स्टेण्ड चौराहा, कन्नी गुर्जर चौराहा, सारस चौराहा, कुम्हेर गेट चौराहा आदि प्रमुख हैं।

भरतपुर का रेलवे स्टे ान मथुरा रोड के पि चम में हीरादास बस स्टेण्ड से करीब 3.5 किमी. की दूरी पर है। दिल्ली–मुम्बई व जयुपर–बांदीकुई–आगरा रेलवे लाईन मुख्य रूप से आवासीय विस्तार के लिये भौतिक अवरोध रही है। रेलवे स्टे ान के समीप होने व वायु दि ाा के मध्यनजर रेलवे लाईन के उत्तर की तरफ औद्योगिक क्षेत्र ही विकसित हुआ है। भाहर में मथुरा रोड एवं जयपुर रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज व डीग रोड पर रेलवे अण्डर पास है। मथुरा बाईपास बन जाने के फलस्वरूप डीग रोड पर स्थित रेलवे क्रॉसींग पर भारी वाहनों के कारण यातायात में अत्यन्त असुविधा होती है, जिसके निराकरण हेतु इस रेलवे क्रॉसींग पर रेलवे पुल बनाये जाने की आव यकता महसूस की जा रही है।

2-6 ¼7½ c&cl LVs.M ,oa ;krk;kr uxj

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का हीरादास बस स्टेण्ड सरकूलर रोड पर स्थित है। इसके साथ ही निगम का वर्क ाॉप डिपो है, जिसके लिये पर्याप्त स्थल है। विभिन्न मार्गों पर चलने वाली प्राईवेट बसें मुख्य रूप से हीरादास बस स्टेण्ड के साथ ही प्राईवेट बस स्टेण्ड से संचालित होती हैं, लेकिन यहां पर्याप्त स्थल व सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा यातायात व्यवसायियों की समस्या के निराकरण व कुम्हेर गेट चौराहे के आस–पास कार्यरत ऑटोमाबाईल कार्य क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु डीग रोड पर यातायात नगर तथा ऑटोमोबाईल मार्केट योजना हाल ही में विकसित की गई है, जिससे भाहर के विभिन्न स्थलों पर कार्यरत यातायात व्यवसाय को स्थानान्तरित किया जाना है। नगर सुधार न्यास, भरतपुर इसके लिए प्रयत्न ाील है।

2-6 ¼7½ l&jy lok

भरतपुर भाहर दिल्ली–मुम्बई मुख्य ब्रॉडगेज रेलवे लाईन पर स्थित है। इसके साथ ही जयपुर–बांदीकुई–आगरा मीटर गेज रेल लाईन का हाल ही में अमान परिवर्तन के कारण भरतपुर से दे ा के विभिन्न महानगरों एवं प्रमुख भाहरों के लिए सीधे ही रेल सेवा उपलब्ध है।

3-
fu;kstu dh lidYiuk

मध्यकाल में भरतपुर का विकास सरकूलर रोड के अन्दर परकोटे तक ही सीमित था। समय के साथ–साथ नगर के स्वरूप में भी परिवर्तन होने लगा एवं भाहर का विस्तार भाहर के दरवाजों एवं चारदीवारी से बाहर होने लगा। राश्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलवे लाईन के विकास के फलस्वरूप भाहर के विकास तथा आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि होने लगी। भाहर मे आस–पास के क्षेत्रों से जनसंख्या के आव्रजन में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि के कारण भाहर में आमोद–प्रमोद, आवासीय, भौक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर अधिक दबाव होने से भाहर का विकास सरकूलर रोड से बाहर अनियन्त्रित रूप से होने लगा। उपरोक्त समस्याओं के परिणाम स्वरूप भरतपुर, आवासीय, पर्यावरण, ड्रेनेज, यातायात आदि की दृश्टि से अपनी मौलिकता खोता गया व अत्यधिक भीड–भाड का केन्द्र मात्र बन गया। उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु तथा भाहर के सुनियोजित विकास के लिए दीर्घ कालीन मास्टर प्लान बनाया जाना आव यक है।

3-1 fu;kstu dk vk/kkj

भरतपुर भाहर का मास्टर प्लान वर्श 2001–2023 बनाने के लिऐ विभिन्न विभागों से आंकडों का संकलन कर एवं विद्यमान भू–उपयोग का सर्वेक्षण उपरान्त उनका अध्ययन एवं वि लेशण किया गया है। उन वि लेशणों के उपरान्त एवं नियोजन की नीतियों को ध्यान में रखते हुए भरतपुर भाहर के भावी सुनियोजित विकास हेतु निम्नांकित आधारों को दृश्टिगत रखा गया है।

1. भरतपुर भाहर एवं इसके आस–पास प्राक अभिनव जोढ मृढा (ओलडर एल्युवियम) पाई जाती है, जिसके कण महीन होते हैं। फलस्वरूप कणों के बीच रिक्त स्थान कम रहता है व पानी सोखने की क्षमता कम होती है। प्राक अभिनव जलोढ मृदा के साथ–साथ इसमें लवणीय तत्व 2000 ईसी से लेकर 8000 ईसी से भी ज्यादा पाये गये हैं। इस कारण इसमें खार की समस्या रहती है। जब इस मृदा पर पानी पडता है तो लवणीय तत्व पानी में घुल जाते हैं तथा मिट्टी के छिद्रों को और भी बन्द कर देते है, जिससे पानी सोखने/रिसाव की क्षमता और भी कम हो जाती है। फलस्वरूप भाहर में जगह–जगह पर वर्श पर्यन्त जल भराव की समस्या बनी रहती है जो भाहर में वि ाश्ट परिस्थितिजन्य प्रदूशण–मृदा, जल, वायु इत्यादि की समस्या को जन्म देती है। इससे स्वास्थ्य संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। इस तरह की परिस्थितिजन्य समस्या प्रदे ा के अन्य भाहरों में नहीं पायी जाती है।

   मिट्टी में उपलब्ध लवणीय तत्व के कारण भरतपुर में सीलन की भी वि ाश्ट समस्या है क्योंकि लवणीय तत्व के ाका क्रिया (Capillary Action) के कारण जमीन के ऊपर आ जाता है जो आर्द्रताग्राही होने के करण वायुमण्डलीय आर्द्रता को सोख लेते है जिससे भवनों में सीलन की समस्या से भवन की आयु बहुत कम हो जाती है। अतः भरतपुर भाहर की वि ाश्ट भौगोलिक स्थिति,

जलभराव व छिछले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये विकास के प्रस्ताव दिये जाने चाहिऐ।

2. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना परिक्षेत्रों (Zone) में बांटा जाए। भूमि के उपयोगों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि पुराने भाहर व नए भाहर में सामंजस्य बना रहे। विभिन्न उप क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं की दृश्टि से स्व–पूरित व आत्मनिर्भर बनाया जाए। कार्य क्षेत्रों के साथ–साथ उनके समीप ही विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों को विकसित किया जाए तथा वहीं पर सामुदायिक सुविधाओं, जनोपयोगी सेवाओं इत्यादि का विकास किया जाए ताकि नगरीय, सामुदायिक व स्थानीय स्तर की जन सुविधाओं के साथ–साथ आमोद–प्रमोद की समुचित सुविधाएँ उस क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध हो सके।

3. भरतपुर, जिला व नवनिर्मित संभाग मुख्यालय होने के कारण प्र ाासनिक केन्द्र है। अतः राजकीय व अर्द्ध–राजकीय कार्यालय परिसरों का नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि प चय–प्रदे ा (Hinterland) एवं स्थानीय निवासियों का इन कार्यालयों तक आवागमन सुगमता से हो सके व इनके विस्तार हेतु समुचित भूमि उपलब्ध हो सके।

4. केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) एक अन्तर्राश्ट्रीय धरोहर है। इसके अनुरूप पर्यावरण की दृश्टि से इसके एवं इसके आस–पास के क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास हेतु उचित प्रावधान किये जाने चाहिए।

5. स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण आगरा–जयपुर–दिल्ली पर स्थित होने कारण भरतपुर भाहर का, पर्यटन क्षेत्र में वि व मे प्रमुख स्थान है। अतः भाहर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु विपुल संभावनाएँ विद्यमान है। इसके लिए ऐतिहासिक, धार्मिक व पुरात्विक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित एवं उनका विकास किया जाना चाहिए तथा पर्यटन के विकास हेतु आधारभूत सुविधाऐं विकसित किये जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6. भरतपुर प च्य प्रदे ा (Hinterland) का वाणिज्य एवं व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। वाणिज्यिक गतिविधियॉ इस प्रकार वितरित की जानी चाहिए कि नगर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्रों यथा कुम्हेर गेट से बिजली घर का चौराहा एवं परकोटे के भीतरी भाग में प्रतिदिन आवागमन की आव यकता न रहे। नये वाणिज्यिक केन्द्र, नये आवासीय क्षेत्र की आव यकताओं हेतु सही स्थलों पर विकसित किये जाने चाहिए जिससे सरकूलर रोड के अन्दर स्थित भाहर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्रों में भीड–भाड कम हो सके। थोक व्यापार व भण्डारण एवं तत्संबंधित गतिविधियॉ आदि ऐसे स्थलों पर प्रस्तावित की जानी चाहिए जिससे भाहर में भारी वाहनों के आवागमन की आव यकता कम हो।

7. औद्योगिक गतिविधियॉ एकीकृत रूप से ऐसे स्थल पर विकसित की जानी चाहिए, जिससे नगर के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके एवं समान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो किन्तु नगर के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे।

8. भाहर में विभिन्न प्रकार के पथों और मार्गों के समुचित उपयोग हेतु बहुस्तरीय यातायात संरचना का विकास किया जाना चाहिए। भू–उपयोग योजना एवं यातायात संरचना एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिए बाह्य मार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुख्य सडकों के यातायात दबाव कम करने हेतु वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जावें।

9. भौगोलिक स्थिति के कारण वर्शा ऋतु में अत्यधिक वर्शा के समय भाहर के निचले क्षेत्र पानी भराव की समस्या से ग्रस्त रहते है। अतः पानी निकासी के रास्तों, नालों आदि पर अतिक्रमण रोकने के साथ–साथ खाई क्षेत्र, पुराने तालाबों, कुण्डों आदि को संरक्षित किया जाना चाहिए तथा छिछले क्षेत्रों में नये विकास पूर्ण सावधानी रखते हुए प्रस्तावित किये जाने चाहिए। भाहर के गन्दे पानी की निकासी, एवं पेयजल आपूर्ति हेतु एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

10. नये क्षेत्रों को विकसित करते समय इनके एवं नगर के पुराने क्षेत्रों के बीच भौतिक और सामाजिक रूप से उचित तारतम्य होना चाहिए। विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन इस प्रकार होना चाहिए कि नगर की विभिन्न गतिविधियों के बीच में अधिक सामंजस्य स्थापित रहे।

11. नगर की परिधि पर किसी प्रकार के अनियन्त्रित विकास को नियंत्रित करने के उद्दे य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी का प्रावधान किया जाना चाहिऐ तथा इसके अंदर की ग्रामीण आबादियों के विकास को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।

4-
Hkkoh fu;kstu dk vkdkj

आधार वर्श 2001 में भरतपुर भाहर की जनसंख्या 2,05,235 थी, जो मास्टर प्लान के क्षितिज वर्श 2023 में लगभग 3.85 लाख होने का अनुमान है। मास्टर प्लान हेतु अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में भरतपुर सहित 39 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 45,676 एकड (18,485.5 हैक्टेयर) है।

आधार वर्श 2001 में विकसित क्षेत्र 3822 एकड है, फलस्वरूप कस्बा स्तर घनत्व 54 व्यक्ति प्रति एकड है तथा कुल नगरीयकृत क्षेत्र 5093 एकड है। भरतपुर भाहर की वि ाश्ट भौतिक परिस्थितियॉ, प्राकृतिक वन्य जीवन व वनस्पति सम्पदा से परिपूर्ण वि व विख्यात केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) तथा स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण पर स्थिति के परिपेक्ष में क्षितिज वर्श 2023 में कुल 11673 एकड विकास योग्य क्षेत्रफल आंकलित किया गया है, फलस्वरूप कस्बा स्तर घनत्व 33 व्यक्ति प्रति एकड़ आंकलित होता है तथा कुल नगरीकरण योग्य क्षेत्र 12716 एकड़ आंकलित किया गया है, जो भरतपुर के लिए अधिसूचित नगरीय क्षेत्र 45,676 एकड (18484.5 हैक्टेयर) का क्रम ाः 25.55 प्रति ात व 27.83 प्रति ात है।

भाहर के दक्षिणी पूर्वी दि ाा में अंतर्राश्ट्रीय धरोहर केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अनुरूप परिस्थितिकी की दृश्टि से इसके एवं आस–पास के क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास हेतु सुसंगत भू–उपयोग के प्रावधान के फलस्वरूप राश्ट्रीय राजमार्ग 11 के प ि चम व दक्षिण तरफ विस्तार बाधित हुआ है। उत्तर में मथुरा रोड व गोवर्धन नहर के बीच उत्तरी औद्योगिक क्षेत्र तथा जयपुर–बांदीकुई–आगरा रेलवे लाईन व प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग के बीच उत्तरी–पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र विद्यमान होने के कारण उत्तरी व उत्तरी–पूर्वी दि ाा की तरफ भी विस्तार बाधित हुआ है। उत्तरी प ि चमी दि ाा में राजकीय आरक्षित क्षेत्र के परिपेक्ष में भी विस्तार बाधित हुआ है। मोती झील एवं पानी भराव के अन्य क्षेत्रों के साथ सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन (सीएफसीडी), गिर्राज नहर व गोवर्धन नहर ने भी विस्तार को प्रभावित किया है। इस प्रकार भाहर की भावी विकास की परिकल्पना करते समय उपरोक्त तथ्यों एवं बाध्यताओं के साथ जनांकिकी, व्यावसायिक संरचना, विकास योग्य क्षेत्र, नगरीयकरण योग्य क्षेत्र, योजना के परिक्षेत्रों इत्यादि महत्वपूर्ण तत्वों को सम्मिलित करते हुए भू–उपयोग योजना–2023 तैयार की गयी है।

4-1 tukfdd h%&

भरतपुर भाहर की जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। वर्श 1981 में यहां की जनसंख्या 105,274 थी जो बढाकर 1991 में 1,56,880 हो गई। इस तरह 1981–1991 के द ाक में जनसंख्या वृद्धि दर 49.02 प्रति ात रही। 2001 की जनगणना के अनुसार भरतपुर की जनसंख्या 2,05,235 है। 1991–2001 के द ाक में जनसंख्या वृद्धि दर 30.82 प्रति ात है, जो पिछले द ाक की तुलना में कम है।

भरतपुर जिला मुख्यालय के साथ नवनिर्मित सम्भाव का मुख्यालय भी है। भरतपुर को प्र ाासनिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने के फलस्वरूप ऐसा अनुमान है कि जनसंख्या वृद्धि के विगत कारण भविश्य में भी यथावत् प्रभावी रहेंगे। क्षितिज वर्श 2023 की तक भरतपुर भाहर की जनसंख्या 3,85,000 हो जाने का अनुमान है। तालिका 9 में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति तथा वर्श 2011 से 2023 की अनुमानित जनसंख्या द ार्ाई गई हैः–

Rkkfydk&9
Tkula[;k o`f) dh izo`fr o vuekfur tula[;k] Hkjriqj % 1981&2023

वर्श	tula[;k	o`f) vUrj	द ाकीय वृद्धि दर (प्रति ात)
1981	1,05,274	–	–
1991	1,56,880	+ 51,606	+ 49.02
2001	2,05,235	+ 48,335	+ 30.82
2011	2,86,120′	+ 80,885	+ 39.41
2021	3,69,150′	+ 83,030	+ 29.02
2023	3,85,000′	+ 15,850	+ 4.29
अनुमानित			

स्त्रोतः– जनगणना एवं नगर नियोजन विभागीय अनुमान।

4-2 O;kolkf;d lajpuk%&

भरतपुर भाहर के आर्थिक क्रियाकलापों का आंकलन इसे प्र ाासनिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक एवं पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र मानकर किया गया है। ऐसा अनुमान है कि भाहरीकरण के परिणाम स्वरूप नगर में कृशि व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में कमी होगी तथा उद्योग, निर्माण तथा परिवहन एवं संचार में कार्यरत व्यक्तियों का प्रति ात लगभग पूर्वानुसार ही रहने की संभावना है। भरतपुर जिला मुख्यालय के साथ–साथ नवनिर्मित सम्भाग का मुख्यालय होने के फलस्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के प्रति ात में वृद्धि होगी। वर्श 2023 तक कुल जनसंख्या का लगभग 31 प्रति ात कार्य ील व्यक्ति होंगे। भरतपुर की वर्श 2023 की व्यावसायिक संरचना को तालिका–10 में द ार्ाया गया हैः–

rkfydk &10
O;kolkf;d lajpuk] Hkjriqj 2023

d- l-	O;olk;	2001		2023	
		काय□ील O;fDr;ksa dh la[;k	कार्य□ील O;fDr;ksa dk प्रति□ात	कार्य□ील O;fDr;ksa dh la[;k	कार्य□ील O;fDr;ksa dk प्रति□ır
1	कृशि, खनन एवं तत्संबंधित गतिविधियां	2,601	4.75	4,770	4.0
2	उद्योग	12,876	23.50	28,047	23.5
3	निर्माण	3,836	7.0	8,335	7.0
4	व्यापार एवं वाणिज्य	12,328	22.50	27,450	23.0
5	परिवहन एवं संचार	5,068	9.25	10,742	9.0
6	अन्य सेवाएं	18,080	33.00	39,982	33.5
;ksx		54]789	100-0	1]19]350	100-0
कार्य□ील व्यक्तियों का ;ksx		26-7		31-0	

स्त्रोतः–जनगणना एवं नगर नियोजन विभागीय अनुमान।

4-3 uxjh; {ks=%&

भरतपुर भाहर का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत भरतपुर चक नं. 1,2,व 3 सहित 39 राजस्व ग्रामों को भरतपुर के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 45,676 एकड (18,484.5 हैक्टेयर) है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से लगते हुए समुचित क्षेत्र को परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र हेतु रखे जाने का प्रस्ताव है। अधिूसूचित राजस्व ग्रामों की सूची परिरि ाश्ट–3 पर दी गई है।

4-4 uxjh;dj.k ;ksX; {ks=%&

भरतपुर भाहर की जनसंख्या आधार वर्श 2001 में 2,05,235 व्यक्तियों से बढकर क्षितिज वर्श 2023 में 3,85,000 व्यक्ति हो जाने का अनुमान है। अनुमानित जनसंख्या के अनुसार भाहर में प्रतिवर्श औसतन 7,816 व्यक्तियों की वृद्धि का अनुमान है। इस बढी हुई जनसंख्या को सुनियोजित ढंग से बसाने हेतु अतिरिक्त भूमि की आव यकता होगी।

भाहर के भावी विकास के लिए क्षितिज वर्श 2023 में नगरीयकरण क्षेत्र का आंकलन भावी विकास की संभावनाओं व बाध्यताओं, भौतिक अवरोध, विस्तार की दि ाा व भूमि की उपादेयता आदि को आधार मानकर किया गया है। इन गतिविधियों के अन्तर्गत नये

आवासीय क्षेत्रों का विकास, समुचित अनुपात के अनुसार कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक गतिविधियों, सामुदायिक सुविधाओं, भौक्षणिक सुविधाओं, मनोरंजनात्मक सुविधाओं तथा शहर के लिए उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था हेतु कुल 12716 एकड़ नगरीयकरण भूमि का आंकलन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में नगरीयकरण क्षेत्र का विस्तार, मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के उत्तर में, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 व सेवर–जयपुर रोड के बीच तथा अछनेरा रोड पर प्रस्तावित किया गया है।

4-5 ;k tuk ifj{k=%&

विकास का विद्यमान स्वरूप, प्राकृतिक व भौतिक बाध्यताऐं, पारिस्थितिकी संरक्षण, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की प्रस्तावित स्थिति एवं उनके प्रकार्मक सम्बन्ध (Functional Relationship) इत्यादि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सुधार एवं भावी विकास के उद्दे य से भरतपुर के नगरीय क्षेत्र को सात योजना परिक्षेत्रों (Zones) में विभक्त किया गया है। पुराना शहर, केवलादेव योजना एवं परिधि नियन्त्रण पट्टी परिक्षेत्रों के अलावा प्रत्येक योजना परिक्षेत्र आवास, रोजगार, व्यावसायिक, आमोद–प्रमोद एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर एवं स्वावलम्बी परिक्षेत्र के रूप में होगा। पुराना शहर परियोजना परिक्षेत्र घनी आबादी का क्षेत्र होने के फलस्वरूप इसके परिक्षेत्र की आमोद–प्रमोद व खुले स्थानों तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं की कमी पास के परिक्षेत्रों द्वारा पूरी की जायेगी।

केवलादेव योजना परिक्षेत्र एक वि ाष्ट पारिस्थितिकी परिक्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। विस्तृत नियोजन के लिए योजना परिक्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम में विभाजित कर चरणवद्व रूप से विकसित किया जायेगा। योजना परिक्षेत्रों को क्षेत्रफल सहित तालिका 11 में द ार्या गया है:–

rkfydk&11
;k tuk ifj{k=] Hkjriqj 2023

d-l-	;k tuk ifj{k=	{k=Qy ¼,dM½
1.	पुराना शहर योजना परिक्षेत्र (A)	990
2.	केवलादेव योजना परिक्षेत्र (B)	1,801
3.	दक्षिणी–पि चमी योजना परिक्षेत्र (C)	2,130
4.	उत्तरी–पि चमी योजना परिक्षेत्र (D)	2,840
5.	उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र (E)	2,811
6.	दक्षिणी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र (F)	2,179
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	12,751
7.	परिधि नियन्त्रण पट्टी (G)	32,925
	vf/kl fpr dy uxjh; {k=	45]676

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

4-5¼1½ iqjkuk 'kgj ;kstuk ifj{ks= (A) ¼&

पुराना शहर योजना परिक्षेत्र में सरकूलर रोड के अन्दर परकोटे का भीतरी भाग है। इसका कुल क्षेत्रफल 990 एकड़ है, जो कि सबसे छोटा योजना परिक्षेत्र है। इस परिक्षेत्र में शहर की अधिकतम जनसंख्या के फलस्वरूप अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। शहर की प्रमुख खुदरा वाणिज्यिक गतिविधियां इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इस योजना परिक्षेत्र में धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल किला परिसर, सुजान गंगा, लक्ष्मण मन्दिर, गंगा मन्दिर, जामा मस्जिद आदि प्रमुख है, जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की विपुल संभावनाऐं हैं। जनाना अस्पताल, डाकघर, नगर परिषद कार्यालय आदि भी इसी योजना परिक्षेत्र में स्थित हैं।

पुराना शहर योजना क्षेत्र में सरकूलर रोड व मडवाल के मध्य स्थित निचले क्षेत्र में कई आवासीय व व्यावसायिक निर्माण मौके पर हो गये हैं। वर्षा ऋतु में इस क्षेत्र में पानी भर जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में ड्रेनेज व विकास के लिए योजना तैयार करने हेतु जिला कलक्टर, भरतपुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। अतः राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र के ड्रेनेज व विकास हेतु स्वीकृत की जाने वाली योजना के अनुसार भू–उपयोग मास्टर प्लान में समायोजित माना जावेगा।

4-5¼2½ dsoykno ;kstuk ifj{ks= (B) ¼&

केवलादेव योजना परिक्षेत्र की मुख्य चारित्रिकी वि ोषता केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना पक्षी विहार) है जो वि ाष्ट परिस्थितिकी तन्त्र का अनूठा उदाहरण है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन के स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित होने के कारण यहॉ पर आने वाले दे ी–विदे ी पर्यटकों की संख्या में निरन्तरण वृद्धि हो रही है। सम्पूर्ण वि व में इसकी महत्ता को देखते हुए रामसर कन्वे ान (1981) के तहत यूनेस्को ने सन् 1985 में इसे वि व धरोहर घोषित कर दिया। 29 वर्ग किलोमीटर में फेले इस उद्यान में जन्तु व वनस्पतियों की जैविध विविधता अनूठी व समृद्व है। अतः केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण व विकास हेतु एवं आस–पास के क्षेत्र में परिस्थितिकी सुसंगत भू–उपयोग का प्रावधान किया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के बीच उत्तर–पूर्व दि ाा में वानस्पतिक/जैविक उद्यान और पि चम में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के दक्षिण में क्रम ाः क्षेत्रीय पार्क, मैडिकल कॉलेज अस्पताल, वि ोष नियोजन क्षेत्र, अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, प्रि ाक्षण एवं संस्थानिक क्षेत्र तथा सरकारी व अर्द्व सरकारी कार्यालय भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। इस परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1801 एकड़ है।

सारस चौराहे व राष्ट्रीय केवलादेव घना पक्षी विहार के मध्य विजय नगर कॉलोनी क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक व अन्य निर्माण हैं। नगर सुधार न्यास द्वारा इस क्षेत्र के नियमन बाबत् निर्णय हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले निर्णयानुसार इस क्षेत्र का भू–उपयोग मास्टर प्लान में समायोजित माना जावेगा।

4-5¼3½ nf{k.kh&if□peh ;kstuk ifj{k= (C) %&

राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर सारस चौराहा (फतेहपुर सीकरी रोड) से बिजली घर चौराहा, काली बगीची चौराहा से सरकूलर रोड होते हुए हीरादास सर्किल से सेवर रोड पर फोर्ट तिराहे से आगे राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 होते हुए सारस चौराहे तक इस योजना परिक्षेत्र की सीमाऐं हैं। दक्षिणी–पि चमी योजना परिक्षेत्र 2130 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस परिक्षेत्र के विकसित भाग में राजेन्द्र नगर, जवाहर नगर, वी.पी. पार्क इत्यादि प्रमुख है। इस परिक्षेत्र में स्टेडियम, होटल काम्पलेक्स, जिला केन्द्र व तीन वाणिज्यिक केन्द्र, थोक व्यापार केन्द्र, अन्य सामुदायिक सुविधायें, पार्क इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं।

4-5¼4½ उत्तरी–पि□peh ;kstuk ifj{k= (D) %&

प्रस्तावित पि चमी बाईपास से सेवर रोड पर फोर्ट तिराहे होते हुए हीरादास सर्किल से सरकूलर रोड पर रेडक्रास तिराहे से मथुरा रोड के पि चम भाग का क्षेत्र उत्तरी–पि चमी योजना परिक्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसका कुल क्षेत्रफल 2840 एकड़ है। इस परिक्षेत्र के विकसित भाग में रणजीत नगर, एसपीएम नगर, कृषि मण्डी, जसवन्त प्रद र्नी व स्टेडियम, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र, सेवर फोर्ट इत्यादि प्रमुख है। इस परिक्षेत्र में तीन वाणिज्यिक केन्द्र, भण्डारण, सरकारी व अर्द्वसरकारी कार्यालय, महाविद्यालय, पशु चिकित्सालय, सैटेलाईट हॉस्पिटल, अन्य सामुदायिक सुविधाऐं, पार्क इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं।

4-5¼5½ mRrjh&iwohZ ;kstuk ifj{k= (E) %&

मथुरा रोड का पूर्वी भाग सरकूलर रोड पर रेडक्रास तिराहे के आगे से सीएफसीडी के सहारे प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग तक उत्तरी भाग का क्षेत्र उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र में आता है जिसका कुल क्षेत्रफल 2811 एकड़ है। इस परिक्षेत्र में तीन वाणिज्यिक केन्द्र, भण्डारण, लघु व मध्यम औद्योगिक ईकाईयां, सरकारी व अर्द्वसरकारी कार्यालय महाविद्यालय, थोक व्यापार केन्द्र, अन्य सामुदायिक सुविधाऐं, सामाजिक सांस्कृतिक, जनोपयोगी सुविधाऐं, पार्क, यातायात नगर एवं ट्रक टर्मिनल इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं।

4-5¼6½ nf{k.kh&iwohZ ;kstuk ifj{k= (F) %&

सरकूलर रोड पर सीएफसीडी के क्रास बिन्दु से सरकूलर रोड के साथ बिजलीघर चौराहे से आगे फतेहपुर–सीकरी रोड से सारस चौराहे होते हुए पूर्व की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 11 व प्रस्तावित बाह्य मार्ग पर सीएफसीडी तक सीएफसीडी से लगता हुआ दक्षिणी भाग का क्षेत्र दक्षिणी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र में आता है जिसका कुल क्षेत्रफल 2179

एकड़ है। इस परिक्षेत्र में कृष्णा नगर, आरबीएम अस्पताल, जिलाधी ा कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, नगर सुधार न्यास कार्यालय, सर्किट हाउस, महारानी श्री जया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इत्यादि प्रमुख हैं। इस परिक्षेत्र में वाणिज्यिक केन्द्र, प्रदूषण रहित कुटीर व हस्त ाल्प औद्योगिक ईकाईयां, थोक व्यापार केन्द्र, प्रोफे ानल महाविद्यालय, अन्य सामुदायिक सुविधाओं, जनोपयोगी सुविधाओं, पर्यटन सुविधाऐं, बस अड्डा इत्यादि प्रस्तावित किये गये है।

4-5¼7½ ifjf/k fu;U=.k iV~Vh (G)%&

मास्टर प्लान में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ अधिसूचित नगरीय क्षेत्र तक परिधि नियन्त्रण पट्टी का प्रावधान किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32925 एकड़ है। उल्लेखनीय है कि परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रस्तावित करने से पूर्व नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के फेलाव की सीमा का निर्धारण वर्ष 2023 तक की आव यकताओं, समुचित घनत्व एवं एकीकृत विकास की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए वृहद् तकनीकी अध्ययन के आधार पर किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा निर्धारण के पश्चात् ही यह सुनि चत करने के लिये कि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का असंगत रूप से फेलाव न हो, नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ परिधि नियन्त्रण पट्टी का प्रस्ताव किया गया है।

5
Hk&mi;kx ;kstuk

क्षितिज वर्ष 2023 के लिए प्रस्तावित भू–उपयोग योजना हेतु मदवार उपयुक्त घनत्व मानदंड का आंकलन कर विभिन्न उपयोगों हेतु क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 3,85,000 की आवश्यकताओं हेतु 11,708 एकड़ विकास योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र का 46.24 प्रति ात आवासीय, 5.28 प्रति ात वाणिज्यिक, 4.99 प्रतिशत औधोगिक, 1.63 प्रति ात सरकारी एवं अर्द्वसरकारी कार्यालय, 10.38 प्रति ात सार्वजनिक एवं अर्द्वसार्वजनिक, 10.69 प्रति ात आमोद प्रमोद एवं 19.63 प्रति ात परिसंचरण तथा 1.16 प्रति ात वि ोष नियोजन क्षेत्र प्रयोजनार्थ भूमि प्रस्तावित की गई है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में राजकीय आरक्षित क्षेत्र, वृक्षारोपण, जला ाय–नाले व निचला क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल 12,751 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2023 की प्रस्तावित भू–उपयोग योजना को तालिका 12 में द ार्ाया गया है :–

rkfydk&12

iLrkfor Hkw&mi;ksx] Hkkjr i|j&2023

d- l-	Hkw&mi;ksx	vk/kkj o"kZ 2001 esa {ks=Qy ¼,dM½	vk/kkj o"kZ 2001 esa fodflr {ks= dk enokj ifr□kr	enokj o"kZ 2023 esa dqy iLrkfor {ks=Qy ¼,dM½	iLrkfor dqy fodkl ;ksX; {ks=Qy o"kZ 2023 dk enokj ifr□kr	iLrkfor dqy uxjh;dj.k ;ksX; {ks= o"kZ 2023 dk enokj ifr□kr
1	2	3	4	5	6	7
1	आवासीय	1864	48.77	5414	46.24	42.46
2	वाणिज्यिक	206	5.40	618	5.28	4.84
3	औधोगिक	344	9.00	585	4.99	4.58
4	राजकीय–सरकारी व अर्द्वसरकारी कार्यालय	41	1.07	191	1.63	1.49
5	सार्वजनिक एवं अर्द्वसार्वजनिक	576	15.07	1215	10.38	9.52
6	आमोद–प्रमोद	166	4.34	1251	10.69	9.81
7	परिसंचरण	625	16.35	2298	19.63	18.02
8	विशेष नियोजन क्षेत्र			136	1.16	1.06
dqy fodflr {ks=		3822	100-00			
dqy fodkl ;ksX; {ks=				11]708	100-00	91-78
8	कृषि पौधशालाऐं, वृक्षारोपण व रिक्त भूमि	802		435		3.42
9	निचला क्षेत्र	–		195		1.54
10	राजकीय आरक्षित	215		215		1.69
11	जलाशय, नाले	254		198		1.57
dqy uxjh;dr {ks=		5093				

d|y uxjh;dj.k ;kX; {k=			12751		100-00

5-1 vkoklh;

शहर के पुराने भाग में अधिकां ा भवन 2–3 मंजिले है। यह बहुत पास–पास बने हुए है, एवं उनमें खुली हवा व रो ानी की कमी है। जबकि नये आवासीय क्षेत्रों में अधिकां ातः एक मंजिले भवनों का निर्माण हो रहा है। भरतपुर मास्टर प्लान में 5414 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गई है।

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जिसमें सबसे छोटे चरण को भारतीय परिवे ा में मौहल्ला कहा जाता है। ऐसे मौहल्लों में सामान्यतः 150–200 परिवार निवास करते है। ऐसे मौहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। 3–4 मौहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को योजना ईकाईयों के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विधालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में छोटी दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती है। इन योजना ईकाईयों के समूह को योजना क्षेत्र कहा जाता है, जहॉ 15,000–20,000 की जनसंख्या निवास करती है। ऐसे योजना क्षेत्र में सम्भवतः उच्च माध्यमिक विधालय, वाणिज्यिक केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान, चिकित्सालय आदि की सुविधा उपलब्ध रहती है।

ऐसे योजना क्षेत्र को मिलाकर नगर नियोजन के सिद्वान्त के अनुरूप स्वावलम्बी योजना परिक्षेत्र की अवधारणा निर्धारित की गई है। ऐसे प्रत्येक योजना परिक्षेत्र का केन्द्रीय बिन्दु वाणिज्यिक दृष्टि से शहरी केन्द्र/जिला केन्द्र/वाणिज्यिक केन्द्र होगा, जिसमें खुदरा व मरम्मत की दुकानें, अल्पाहार ग्रह, होटलें, सिनेमाघर, डाक तार घर, इत्यादि सुविधाएँ समान्यतः उपलब्ध होगी। भरतपुर शहर में सन् 2023 में परिकल्पित 3.85 लाख जनसंख्या को नियोजित रूप से बसाने हेतु छः योजना परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है।

आधार वर्ष में भरतपुर शहर में विकसित क्षेत्र का 48.77 प्रति ात भाग अर्थात 1864 एकड क्षेत्र आवासीय प्रयोजन के अन्तर्गत था। इस तरह आवासीय घनत्व 110 व्यक्ति प्रति एकड आंकलित होता है, जिसे क्षितिज वर्ष 2023 तक 71 व्यक्ति प्रति एकड किया जाना प्रस्तावित है। इस तरह क्षितिज वर्ष 2023 तक आवासीय प्रयोजनार्थ 5414 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 46.24 प्रति ात है। आवासीय प्रयोजनार्थ ऐसे क्षेत्रों को प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व के अनुरूप तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो तालिका संख्या 13 में द ार्शाया गया है :–

rkfydk l[;k&13
vkoklh; {k=k dk iLrkfor fooj.k&2023

vkoklh;	iLrkfor ?kuRo	oxhZdj.k {k=	iLrkfor {k=Qy¼,dM½	vuqekfur tul[;k
R1	75 व्यक्ति प्रति एकड से कम	निम्न घनत्व	2830	107000
R2	75 से 125 व्यक्ति प्रति एकड	मध्यम घनत्व	2022	194000
R3	125 व्यक्ति प्रति एकड से अधिक	उच्च घनत्व	562	84000
;kx			5414	385000

इन योजना परिक्षेत्रों का विभाजन निधारित करते समय इस बात का वि ोश ध्यान रखा गया है कि कार्य स्थल व सार्वजनिक सुविधा के मध्य की दूरी कम से कम रहे। स्थानी स्तर पर विभिन्न सुविधाएँ यथा प्राथमिक विद्यालय, खुदरा दुकानें, चिकित्सा, भौक्षणिक तथा समुदायिक सुविधाएँ, आमोद–प्रमोद व खुले स्थान इत्यादि उक्त क्षेत्र वि ोश की मास्टर प्लान के अनुरूप विस्तृत योजना तैयार करते समय उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

आर्थिक दृश्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास हेतु स्थानीय निकाय, आवासन मण्डल आदि संस्थाओं द्वारा वि ोश योजनाऐं बनाया जाना प्रस्तावित है तथा स्थानीय निकाय एवं प्राइवेट निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजनाओं में भी आर्थिक दृश्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु राजस्थान टाउन ाप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो/लघु आय वर्गों के व्यक्तियों हेतु भूखण्डों/आवासों का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।

5-1 ¼v½ dPph cfLr;k

नगर सुधार न्यास व नगर परिशद को चाहिये कि भविश्य में कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने

हेतु छोटे भूखण्ड समय–समय पर मांग के अनुरूप उपलब्ध करवाए तथा विद्यमान कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों का नियोजित विकास एवं सुधार चरणवद्ध क्रम में किया जावे। रीको द्वारा भी औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवासी योजना आरम्भ की जा सकती है ताकि औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कच्ची बस्तियों के अव्यवस्थित विकास व अतिक्रमण को रोका जा सके।

5-2 okf.kfT;d

भरतपुर शहर प्र ाासनिक दृष्टि से ही नहीं अपितु व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से भी पूर्वी राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर है। शहर के भौतिक विकास के साथ–साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ है। पिछले दो द ाकों में शहर के प्रमुख मार्गो पर वाणिज्यिक गतिविधियों में अपार वृद्वि के कारण यातायात की समस्या व पार्किंग की समस्या बढ़ती रही है। शहर में वाणिज्यिक गतिविधियॉ मुख्य रूप से शहर के परकोटे के अन्दर मथुरा गेट से कुम्हेर गेट को मिलाने वाली प्रमुख सड़क के दोनों ओर केन्द्रित है। मथुरा गेट से शहर के भीतर प्रवे ा करने पर जनाना अस्पताल के समीप चौबुर्जा बाजार, गंगा मन्दिर, जामा मस्जिद क्षेत्र, लक्ष्मण मन्दिर, कोतवाली व बड़ा बाजार आदि में इस शहर की प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधियॉ विद्यमान है। लक्ष्मण मन्दिर के आसपास का क्षेत्र शहर की विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है। इसके अतिरिक्त अटलबन्द मण्डी, अनाह गेट सड़क व परकोटे के भीतर विभिन्न मार्गो पर वाणिज्यि विद्यमान है। हीरादास बस स्टैण्ड से कुम्हेर गेट तथा डीग रोड पर मुख्य रूप से ओटोमोबाईल व्यवसाय विकसित हो गया है। इसके अतिरिक्त शहर की मुख्य सडकों यथा सरकूलर रोड, डीग रोड, स्टे ान रोड, अछनेरा रोड, सेवर रोड आदि पर वाणिज्यिक गतिविधियां है। इन स्थानों पर पार्किंग हेतु नियोजित ढंग से कोई स्थल नि चत नहीं है। वाहन सडक पर ही खडे किये जाते है। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक सुसंगत बनाने तथा दैनिक आव यकताओं की आपूर्ति हेतु अनाव यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाऐं सहज ही उपलब्ध हो सके। आधार वर्ष में वाणिज्यिक गतिविधियों में 12,328 व्यक्ति कार्यरत थे, जो क्षितिज वर्ष में 27,450 व्यक्ति होने का अंकलन किया गया है। आधार वर्ष में विकसित क्षेत्र का 5.4 प्रति ात भाग अर्थात 206 एकड़ क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग के अन्तर्गत था। क्षितिज वर्ष 2023 तक विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए 618 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 5.28 प्रति ात है। विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियों का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित पदानुक्रम वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण तालिका–14 में द ार्ाया गया है :–

rkfydk &14
okf.kfT;d xfrfo/k;ksa dk Hkw&mi;ksx dk fooj.k] Hkjriqj 2023

d- l-	okf.kfT;d xfrfo/k;ksa dh J.kh	La[;k	fLFkfr	{ks=Qy ,dM
fo|eku				
भाहरी केन्द्र (सी.बी.डी.) सरकूलर रोड के भीतरी क्षेत्र में, विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधयां सरकूलर रोड के बाहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर				206
iLrkfor				
1	जिला केन्द्र (District Center)	1	राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर (17 एकड) व आर.बी.एम. अस्पताल के उत्तर में (18 एकड)	35
2	वाणिज्यिक केन्द्र (Commercial Centers)	11	तालिका 14 के अनुसार	65
3	स्थानीय खुदरा बाजार (Local Retail markets) व अन्य		विभिन्न स्थानो पर	24
4	थोक व्यापार–क (ऑटो– मोबाईल बाजार)	1	प्रस्तावित 120 फीट सडक पर टैक्सी स्टेण्ड के पास	8
	–ख (भवन निर्माण सामग्री)	2	प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर एवं पि चमी बाह्य मार्ग पर	70
	–ग (फल व सब्जी मण्डी)	1	पि चम में सेवर रोड के पास	15
5	होटल कॉम्पलेक्स	1	राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर	114
6	भण्डारण	2	एक पूर्व में प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर (56 एकड) तथा दूसरा रेलवे यार्ड के पास (25 एकड)	81
	;ksx			412
	dqy ;ksx ¼fo|eku$iLrkfor½			618

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

5-2 (1) भाहरी केन्द्र

भरतपुर भाहर की मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियॉ व बाजार भाहर के परकोटे के भीतर केन्द्रित है। भाहर की मुख्य वाणिज्यिक गतिविधयॉ चौबुर्जा बाजार, गंगा मन्दिर, जामा मस्जिद, लक्ष्मण मन्दिर, बडा बाजार, अटलबन्ध मण्डी, अनाह गेट सडक बाजार में केन्द्रित हैं। भविश्य में उपरोक्त बाजार क्षेत्र भाहर का एक मात्र मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र (Central Business District) बना रहेगा।

5-2 ¼2½ ftyk dsUnz

वाणिज्यिक गतिविधयों को विकेन्द्रित करने की दृश्टि से मास्टर प्लान में नये प्रस्तावित क्षेत्र जिला केन्द्र स्थापित करने की अवधारणा के अनुरूप 35 एकड भूमि पर एक जिला केन्द्र दक्षिणी–पि चमी योजना परिक्षेत्र में राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 17 एकड तथा दक्षिणी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में आर.बी.एम. अस्पताल के तरफ उत्तर में 18 एकड भूमि पर प्रस्तावित किया गया है।

5-2 ¼3½ okf.kfT;d dsUnz

समान्यतः दो–तीन योजना क्षेत्रों के बीच में एक वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किया गया है। इन वाणिज्यिक केन्द्रों में खुदरा एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों/सुविधाओं के लिए विस्तृत योजना बनाई जा सकेगी। ऐसे प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र दक्षिणी–पि चमी योजना परिक्षेत्र, उत्तरी–पि चमी योजना परिक्षेत्र व उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र में तीन–तीन, दक्षिणी–पूर्वी योजना क्षेत्र एवं केवलादेव परियोजना क्षेत्र में एक–एक तथा इस प्रकार कुल 11 वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये है। जिसका विवरण 15 में दिया गया है।

rkfydk&15

izLrkfor okf.kfT;d dsUnz] Hkjriqj&2023

dz-l-	;kstuk ifj{ks=	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM½
1.	दक्षिणी–पि च मी योजना परिक्षेत्र	3	सेवर रोड पर	7.0
			सरकूलर रोड पर	5.0
			प्रस्तावित 120 फीट की सडक पर	4.0
			;ksx	16-0
2	उत्तरी–पि चम ी योजना परिक्षेत्र	3	प्रस्तावित 80 फीट की सडक पर कृशि मण्डी के दक्षिण में	4.0
			प्रस्तावित पि चमी बाह्य मार्ग पर	12.0
			सेवर रोड पर	5.0
			;ksx	21-0
3	उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र	3	रेलवे लाईन के उत्तर में एवं सिमकों के पूर्व में	6.0
			प्रस्तावित 60 फीट पर गिर्राज नहर के पूर्व में	5.0
			;ksx	11-0
4	दक्षिणी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र	1	प्रस्तावित 120 फीट सडक के पि चम में	5.0
5	केवला देव योजना परिक्षेत्र	1	राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर	12.0
			;ksx	65-0

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

5-3 ¼4½ LFkkuh; [kqnjk cktkj %

स्थानीय खुदरा बाजार में स्थानीय उपयोग की दुकानें व अन्य वाणिज्यिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मास्टर प्लान स्थानीय खुदरा बाजार पुराना कलेक्ट्रेट परिसर, सरकूलर रोड पर प्रस्तावित पि चमी बाह्य मार्ग पर, कृशि उपज मण्डी के उत्तर में, आदि स्थलों

पर प्रस्तावित किये गये हैं। इनके अलावा प्रस्तावित आवासीय भू–उपयोग मे एकल संपत्ति गहराई या सडक मार्गाधिकार जो भी कम हो तक व्यावसायिक भू–उपयोग निम्न प्रमुख सडकों पर प्रस्तावित किये गये हैं।

- भी ाम चौराहे से काली की बगीची तक
- सरकुलर रोड
- कुम्हेर गेट से मथुरा बाईपास तिराहे तक
- रैड क्रॉस चौराहे से मथुरा रोड पर रेलवे स्टे ान तक का भाग
- हीरादास चौराहे से पुरानी जयपुर सडक का सेवर फोर्ट तक का भाग तथा 10,000–15,000 की जनसंख्या हेतु विस्तृत आवासीय योजनाओं में नगर नियेाजन के मानदण्डों के अनुसार उपयुक्त स्थल पर दुकानें प्रस्तावित की जावेंगी।

5-2 ¼5½ Fkksd 0;kikj

भाहर में थोक व्यापार की दृश्टि से नवीन ए श्रेणी की कृशि उपज मण्डी राजस्थान राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा डीग रोड पर विकसित की गई है जिसमें अनाज व अन्य जिन्सों का थोक व्यापार किया जाता है। सब्जी मण्डी भी इसी प्रांगण में स्थित है। कृशि उपज मण्डी के प्रांगण से सब्जी मण्डी स्थानान्तरित करने के उपरान्त कृशि उपज मण्डी क्षितिज वर्श तक पर्याप्त है। हीरादास बस स्टेण्ड से सेवर जाने वाली सडक के दक्षिण में प्रस्तावित 120 फीट चौडी सडक पर 15 एकड भूमि फल व सब्जी मण्डी हेतु प्रस्तावित की गई है। प ि चमी बाह्य मार्ग पर 40 एकड एवं प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर 30 एकड क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री हेतु प्रस्तावित की गयी है। दक्षिणी प ि चमी योजना परिक्षेत्र में प्रस्तावित 120 फीट सडक पर प्रस्तावित टैक्सी स्टेण्ड के पास 8 एकड क्षेत्र में ऑटोमोबाईल बाजार प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में भाहर के अन्दर बिखरे रूप से चल रहे इन व्यवसायों को नियोजित ढंग से प्रस्तावित स्थलों पर व्यवस्थित किया जा सकेगा।

5-2 ¼6½ gkVy dkEiyDl%

भरतपुर को एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की विपुल संभावनाऐं हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए भाहर के विभिन्न भागों में उपलब्ध मध्यम श्रेणी के स्वीकृत होटल/गेस्ट हाउस अपर्याप्त है। अतः पर्यटकों के ठहरने की उपयुक्त मानदण्डों की समुचित पर्याप्त व्यवस्था हेतु राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 26.5 एकड क्षेत्र में एवं उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र में 87.5 एकड क्षेत्र होटल कॉम्पलेक्स प्रस्तावित किया गया है।

5-2 ¼7½ Hk.Mkj.k%

भरतपुर भाहर में भण्डारण हेतु भारतीय खाद्य निगम के गोदाम मथुरा रोड पर व राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के गोदाम स्टे ान रोड पर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त रीको क्षेत्र में भी गोदाम हैं। कुछ गोदाम भाहर में निजी स्तर पर भी कार्यरत हैं। भाहर की वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के मध्यनजर भण्डारण की सुविधा पर्याप्त नहीं है।

अतः भाहर के भावी विकास के आंकलन के परिपेक्ष में एक पूर्व में प्रस्तावित बाह्य मार्ग पर 56 एकड क्षेत्र तथा दूसरा रेलवे यार्ड के पास 25 एकड क्षेत्र में भण्डारण व्यवस्था हेतु प्रस्तावित किये गये हैं।

5-4 vkS|ksfxd

भरतपुर के पुराने आद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख औद्योगिक ईकाई सिमको तथा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर की दो बडी ईकाईयां यथा जनरल इंजिनियरिंग वर्क्स व डालमिया उेयरी प्रोजेक्ट काफी समय से बन्द हैं। रीको द्वारा वर्ष 1984 में करीब 240 एकड़ भूमि में बृज औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया। भरतपुर शहर में औद्योगिक विकास में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के कारणों से राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रदूषण युक्त औद्योगिक ईकाई की स्थापना पर रोक लगा रखी है। आधार वर्ष में औद्योगिक गतिविधियों में कार्य ील जनसंख्या का 23.5 प्रति ात अर्थात 12,876 व्यक्ति कार्यरत थे तथा कुल विकसित क्षेत्र का 9.0 प्रति ात भाग अर्थात 344 एकड़ क्षेत्र औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग के अन्तर्गत था। आधार वर्ष की कार्य ील जनसंख्या में स्थापित कर आधार वर्ष की जनसंख्या हेतु आधार वर्ष में औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1.68 एकड प्रति 1000 व्यक्ति आंकलित होता है, क्षितिज वर्ष में भी कार्य ील जनसंख्या का 23.5 प्रति ात ही अर्थात 28,047 व्यक्ति औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत होने का आंकलन किया गया है। क्षितिज वर्ष –2023 तक औद्योगिक गतिविधियों के लिए 585 एकड़ क्षेत्र की आव यकता का आंकलन किया गया है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 4.99 प्रति ात है। विद्यमान औधोगिक क्षेत्रों के संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण तालिका–16 में द ार्या गया हैः–

rkfydk & 16

vkS|ksfxd xfrfof/k;ksa dk Hkw&mi;ksx dk fooj.k] Hkjriqj&2023

d- la-	vkS|ksfxd {ks=	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM½
fo|eku				
1.	विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र : मथुरा रोड व गोवर्धन नहर के बीच, आगरा रेलवे लाइन व प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग के बीच तथा अन्य क्षेत्र			344
izLrkfor				
2.	उत्तरी औद्योगिक क्षेत्र	1	मथुरा रोड व मथुरा रेलवे लाईन के बीच का क्षेत्र	119
3.	उत्तरी–पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र	1	आगरा रेलवे लाईन व प्रस्तावित बाह्य मार्ग के बीच का क्षेत्र	57
4.	प्रदूषण रहित कुटीर एवं हस्त ाल्प औद्योगिक ईकाईयां	1	दक्षिणी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर	65
;ksx				241
dqy ;ksx ¼fo|eku + izLrkfor½				585

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

लघु एवं मध्यम ईकाई के लिए उत्तरी औद्योगिक क्षेत्र में मथुरा रोड व दिल्ली–मुम्बई रेलवे लाईन के बीच 119 एकड़ क्षेत्र तथा उत्तरी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में 57

एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। शहर में कुटीर व हस्त ि ल्प गतिविधियों की विपुल संभावनाएँ हैं। स्थानीय ि ल्पकारों के रोजगार व आय के अवसर बढाने तथा हस्त ि ल्प गतिविधियों व पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के उद्दे य से एक ही स्थल पर समुचित सुविधाऐं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रस्तावित पर्यटन सुविधा क्षेत्र के पास ही प्रदूषण रहित कुटीर व हस्त ि ल्प औद्योगिक ईकाईयों हेतु 65 एकड़ क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 11 प्रस्तावित किया गया है। जहाँ जिले के सभी ि ल्पकारों को अपने उत्पादन का प्रद र्न व वितरण करने हेतु एक प्लेटफार्म उपलब्ध होगा, जिससे विदे ी पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

5-4 jktdh;

5-4¼1½ ljdkjh ,oa v}Zljdkjh dk;kZy;

वर्तमान में कलेक्टर कार्यालय, जिला न्यायालय परिसर, सूचना केन्द्र, सम्भागीय आयुक्त कार्यालय आदि प्रमुख कार्यालय बिजली घर चौराहा के समीप फतेहपुर सीकरी रोड पर स्थित हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस अधीक्षक, नगर सुधार न्यास कार्यालय, सर्किट हाऊस, डाक बंगला आदि अछनेरा रोड पर हैं। राजकीय कार्यालय हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न होने के फलस्वरूप कई राजकीय एवं अर्द्व राजकीय कार्यालय सरकूलर रोड के भीतरी क्षेत्र में छोटे–छोटे स्थलों पर कार्यरत हैं। आधार वर्ष में सरकारी एवं अर्द्वसरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत विकसित क्षेत्रों का 1.07 प्रति त भाग अर्थात 41 एकड़ भूमि थी। क्षितिज वर्ष तक सरकारी एवं अर्द्वसरकारी कार्यालयों के लिए 191 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 1.63 प्रति त है। विद्यमान सरकारी एवं अर्द्व सरकारी कार्यालय तथा सरकारी आरक्षित क्षेत्र का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ सरकारी व अर्द्व सरकारी कार्यालयों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों को विवरण तालिका–17 में द ाया गया हैः–

rkfydk & 17

jktdh; iz;kstukFkZ Hkw&mi;ksx forj.k] Hkjriqj&2023

¼v½ ljdkjh o v}Z ljdkjh dk;kZy;

dz- lz-	ljdkjh o v}Z ljdkjh dk;kZy;	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM+½
		fo|eku		
1.	सरकारी व अर्द्व सरकारी कार्यालय : मुख्यतः अछनेरा व फतेहपुर सीकरी रोड पर तथा सरकूलर रोड के भीतरी क्षेत्र में छोटे–छोटे भू–उपयोग			41
		izLrkfor		
2.	दक्षिणी प िचमी योजना परिक्षेत्र में	2	फतेहपुर सीकरी रोड पर रोज विला क्षेत्र में	3
3.	केवला देव योजना परिक्षेत्र	1	राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर	79
4.	उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र	1	एक मथुरा रोड पर	34
5.	दक्षिणी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र	1	प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर	34
	;ksx			150
	dqy ;ksx ¼fo|eku + izLrkfor½			191

¼c½ jktdh; vkjf{kr {ks=

en	fo|eku	izLrkfor	dqy
क्षेत्रफल (एकड़)	215	0	215
;ksx			215

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

दक्षिणी पि चमी परिक्षेत्र में फतेहपुर सीकरी रोड पर रोज विला क्षेत्र में 3 एकड़ क्षेत्र तथा केवलादेव योजना परिक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर 79 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया हैं। दक्षिणी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर 34 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। उत्तरी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में मथुरा रोड पर 34 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। भरतपुर में सरकूलर रोड के भीतरी क्षेत्र या अन्यत्र निजी भवनों में विभिन्न स्थलों पर चल रहे सरकारी व अर्द्व सरकारी कार्यालयों को एकीकृत रूप में इन प्रस्तावित नये क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

5-4½ jktdh; vkjf{kr {k=

भरतपुर शहर में वर्तमान में सेवर रोड पर सेवर फोर्ट व डीग रोड पर स्थित कंजौली राजकीय आरक्षित क्षेत्र है। इन्हें यथावत रखा जाना है तथा राजकीय आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत कोई नया स्थल प्रस्तावित नहीं किया गया है। भविष्य में इसके विस्तार हेतु आव यकतानुसार भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में से अवाप्त की जा सकेगी।

5-5 lkoZtfud ,oa v}Z lkoZtfud lfo/kk,a

सार्वजनिक एवं अर्द्व सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाऐं, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाऐं यथा जलापूर्ति, जल मल निकास व ठोस कचरा प्रबंधन, विधुत आपूर्ति तथा श्म ान व कब्रिस्तान आदि सुविधाऐं सम्मिलित हैं। भरतपुर शहर में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जनसंख्या में तीव्र गति वृद्वि हुई परन्तु सार्वजनिक एवं अर्द्व सार्वजनिक का विस्तार व विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाऐं अपर्याप्त है। इन समस्त सुविधाओं को शहर के निवासियों को उपलब्ध करवाना मास्टर प्लान का मुख्य उद्दे य है। आधार वर्ष में सार्वजनिक एवं अर्द्व सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत विकसित क्षेत्र का 15.07 प्रति ात भाग अर्थात् 576 एकड़ क्षेत्र था जो 2.80 एकड़ प्रति 1000 व्यक्ति आंकलित होता है, क्षितिज वर्ष 2023 तक सार्वजनिक एवं अर्द्व सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत 1215 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 10.38 प्रति ात है। विभिन्न सार्वजनिक एवं अर्द्व सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत विद्यमान क्षेत्रफल, प्रस्तावित क्षेत्रफल एवं क्षितिज वर्ष तक कुल क्षेत्र का विवरण तालिका–18 में द ार्या गया है:–

rkfydk&18
lkoZtfud ,oa v}Z lkoZtfud lqfo/kkvksa dk Hkw&mi;ksx dk fooj.k]
Hkjriqj&2023

d- l-	lkoZtfud ,oa v}Z lkoZtfud lqfo/kk,sa	fo|eku {ks=Qy ¼,dM½	iLrkfor {ks=Qy ¼,dM½	dqy {ks=Qy ¼,dM½
1.	शैक्षणिक सुविधाएँ	263	441	704
2.	चिकित्सा सुविधाएँ	53	60	113
3.	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	47	144	191
4.	धार्मिक / ऐतिहासिक स्थल / सामाजिक–सांस्कृतिक	42	0	42
5.	जनोपयोगी सुविधाएँ	55	82	137
6.	श्म ाान व कब्रिस्तान	28	0	28
;ksx		488	727	1215

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

5-5¼1½ 'kS{kf.kd lqfo/kk,sa

वर्तमान में भरतपुर शहर में प्राथमिक स्तर के 32, उच्च प्राथमिक स्तर के 54, माध्यमिक स्तर के 74 व उच्च माध्यमिक स्तर के 32 विद्यालय कार्यरत हैं। आर. डी. कन्या महाविद्यालय, महारानी श्री विदेह कौर कन्या महाविद्यालय व बी. एड. कॉलेज किला परिसर में स्थित हैं। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय रणजीत नगर में, औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थान रीको क्षेत्र में व पोलीटेक्निक महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है। उच्च अध्ययन हेतु स्नातकोत्तर स्तर का महारानी श्री जया कॉलेज अछनेरा रोड पर है।

शहर में वर्तमान जनसंख्या हेतु पर्याप्त संख्या में उच्च प्राथमिक स्तर के 54 व माध्यमिक स्तर के 74 विद्यालय कार्यरत है। अतः भरतपुर शहर की भावी शैक्षणिक आव यकताओं के मध्य नजर 5 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2 महाविद्यालय, 3 व्यवसायिक विद्यालय, 1 वि वविद्यालय तथा एक प्रि ाक्षण एवं संस्थानिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है। विद्यमान शैक्षणिक सुविधाओं को संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावों का विवरण तालिका–19 में द ार्या गया हैः–

rkfydk&19
'k{kf.kd lfo/kkvk d Hk&mi;kx dk fooj.k] Hkjrij&2023

d- l-	'k{kf.kd lfo/kk dk Lrj	l[;k	fLFkfr	{k=Qy ¼,dM½
fo|eku				
आर.डी. कन्या महाविद्यालय, महारानी श्री विदेहकौर कन्या महाविद्यालय, बी.एड. कालेज, अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थान, पोलीटेक्नीक महाविद्यालय, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र, महारानी श्री जया स्नातकोत्तर महाविद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय आदि				263
iLrkfor				
1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	5	विभिन्न स्थलों पर	33
2.	महाविद्यालय	2	एक गिर्राज नहर पर (16 एकड़) तथा दूसरा गोलपुरा गांव के दक्षिण में प्रस्तावित बाह्य मार्ग पर (22 एकड़)	38
3.	व्यवसायिक महाविद्यालय	4	मेडिकल एण्ड नर्सिंग महाविद्यालय (100 एकड़) प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर अभियांत्रकी महाविद्यालय केवलादेव योजना क्षेत्र (43 एकड़) में, मैडिकल कॉलेज अस्पताल राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर (32 एकड़) व तकनीकी महाविद्यालय प्रस्तावित होटल कॉम्पलेक्स के पास (33 एकड़)	204
4.	विश्वविद्यालय	1	मथुरा रोड पर (120 एकड़)	120
5.	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानिक क्षेत्र	1	राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर	46
;kx				441
dy ;kx ¼fo|eku + iLrkfor½				704

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यालय भविष्य में नियोजित आवासीय योजनाओं में आव यकता व उनके स्वरूप के अनुसार प्रस्तावित किये जा सकेगें।

5-5¼1½ v&iLrkfor mPp ek/;fed fo|ky;

शहर व पृष्ठ प्रदे ा की भावी उच्च माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक आव यकता को ध्यान में रखते हुए 5 उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रस्तावित किये गये है, जिनका क्षेत्रफल 33 एकड़ है तथा विस्तृत विवरण तालिका–20 में द ार्या गया हैः–

Rkkfydk&20

iLrkfor 'k{kf.kd lqfo/kk,a ¼mPp ek/;fed fo|ky;½] Hkjriqj&2023

d- l-	;kstuk ifj{ks=	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM+½
1.	दक्षिणी पि चमी योजना परिक्षेत्र	1	प्रस्तावित स्टेडियम के उत्तरी पि चमी कोने पर	6.0
2.	उत्तरी पूर्वी योजना परिक्षेत्र	2	गिर्राज नहर के उत्तर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट व ट्रक टर्मिनल के उत्तरी पूर्वी कोने पर (8 एकड़) व सीएफसीडी के उत्तर में प्रस्तावित 60 फीट की सड़क पर (7 एकड़)	15.0
3.	दक्षिणी पूर्वी योजना परिक्षेत्र	2	प्रस्तावित 120 फीट चौडी सडक के पि चम में (9.0 एकड) व विद्यमान ओसीएफ स्थल के दक्षिण में (3.0 एकड़)	12.0
dqy		6		33-0

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

5-5¼1½ c& iLrkfor egkfo|ky; rFkk O;oLkkf;d egkfo|ky;

मास्टर प्लान में दो महाविद्यालय व तीन व्यवसायिक महाविद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। दो महाविद्यालय क्रम ाः एक गिर्राज नहर पर 16 एकड़ क्षेत्र में तथा दूसरा गोलपुरा गांव के दक्षिण में 22 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये। व्यवसायिक महाविद्यालय क्रम ाः एक मेडिकल एण्ड नर्सिंग महाविद्यालय 100 एकड़ क्षेत्र में तथा मैडीकल कॉलेज अस्पताल 32 एकड़ क्षेत्र में साथ ही दो अभियांत्रिकी महाविद्यालय 43 एकड़ क्षेत्र में एवं 29 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये है।

5-5¼1½ l&iLrkfor fo'ofo|ky; rFkk izf'k{k.k ,oa laLFkkfud {ks=

वर्तमान में महारानी श्री जया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न संकायों के 17 स्वतंत्र विभाग कार्यरत हैं। नवनिर्मित सम्भाग के क्षेत्राधिकार में लगभग 100 राजकीय व गैर राजकीय महाविद्यालय कार्यरत हैं तथा लगभग 50,000 नियमित व स्वयंपाठी विद्यार्थी महाविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में भाग लेते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में नवनिर्मित सम्भाग कार्यालय पर उच्च अध्ययन हेतु वि वविद्यालय की आव यकता है, जिनके लिए केवलादेव योजना परिक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 133 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है तथा मथुरा रोड पर 120 एकड भूमि उत्तरी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में वि वविद्यालय हेतु प्रस्तावित की गई है। अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक प्रि ाक्षण एवं संस्थानिक क्षेत्र 46 एकड़ भू–भाग में केवलादेव योजना परिक्षेत्र में ही राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर प्रस्तावित किया गया हैं।

5-5¼2½ fpfdRlk lqfo/kk,¡

वर्तमान में चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र में 2 अस्पताल क्रम ाः मथुरा गेट के पास जनाना अस्पताल व कम्पनी बाग के पास आर.बी.एम. अस्पताल, 6 डिस्पेंसरी व 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। निजी क्षेत्र में 8 अस्पताल व 9 नर्सिंग होम्स कार्यरत हैं। भावी जनसंख्या व पृष्ठ प्रदे ा के मध्यनजर चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत 60 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 25 एकड़ क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर प्रस्तावित मेडिकल एण्ड नर्सिंग महाविद्यालय के पास तथा रणजीत नगर के दक्षिण में 8 एकड़ क्षेत्र में सेटेलाईट अस्पताल प्रस्तावित किये गये हैं। 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 16 एकड़ क्षेत्र में क्रम ाः दक्षिणी पि चमी योजना परिक्षेत्र में प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र व उच्च माध्यमिक विद्यालय के बीच प्रस्तावित 120 फीट सड़क पर 3 एकड़ क्षेत्र में तथा उत्तरी पि चमी योजना परिक्षेत्र में मथुरा रोड के पि चम में तथा विद्यमान रेलवे यार्ड के उत्तरी पूर्वी कोने पर 3 एकड़ क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी योजना क्षेत्र में सीएफसीडी पर 4 एकड़ क्षेत्र व उत्तरी औद्योगिक क्षेत्र में 3 एकड़ क्षेत्र में तथा दक्षिणी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में मोती महल रोड पर 3 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये हैं। एक पशु चिकित्सालय गोलपुरा गांव के दक्षिण में प्रस्तावित पि चमी बाह्य मार्ग पर उत्तरी पि चमी योजना परिक्षेत्र में 11 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त केवलादेव योजना परिक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर भी व्यवसायिक महाविद्यालय के अंतर्गत अस्पताल प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावों का विवरण तालिका–21 में द ार्या गया हैं।

Rkkfydk&21
fpfdRlk lqfo/kkvksa dk Hkw&mi;ksx dk fooj.k] Hkjriqj&2023

¼v½ ljdkjh o v}Zljdkjh dk;kZy;

d- l-	fpfdRlk lqfo/kk dk Lrj	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM½
fo|eku				
मथुरा गेट के पास जनाना अस्पताल व दूसरा कम्पनी बाग के पास आर.बी.एम. अस्पताल, डिस्पेन्सरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निजी क्षेत्र के अस्पताल, नर्सिंग होम्स				53
iLrkfor				
1.	सेटेलाईट अस्पताल	1	राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर	25
2.	सेटेलाईट अस्पताल	1	रणजीत नगर के दक्षिण में	8
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5	विभिन्न स्थलों पर	16
4.	पशु चिकित्सालय	1	गोलपुरा गांव के दक्षिण में	11
;ksx				60
dqy ;ksx ¼fo|eku + iLrkfor½				113

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

5-5 ¼3½ vU; lkeqnkf;d lqfo/kk,¡

भरतपुर भाहर में वर्तमान में एक क्लब है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक पुस्तकालय, डाकघर, टेलीफोन केन्द्र, पुलिस थाने व पुलिस चौकियॉ इत्यादि 47 एकड क्षेत्र में है। प्रस्तावित सार्वजनिक चिकित्सालयों के समीप और धर्म ाालाओं तथा नये प्रस्तावित क्षेत्रों में पुरूश व महिलाओं के लिए छात्रावास, विश्राम ग्रहों एवं पर्यटकों के लिए अतिथि गृहों, डाक बंगला, सर्किट हाउस आदि की आव यकता है। इसी तरह मौरिज हॉल, दूरभाश केन्द्र, बैंक परिसर, स्वास्थ्य केन्द्र, पुस्तकालय, अग्नि ामन केन्द्रों, पुलिस थानों व चौकियों, इन्डोर गेम्स हॉल आदि सुविधा हेतु प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजनार्थ भाहर में 8 स्थानों पर 144 एकड क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। दक्षिणी पि चमी योजना परिक्षेत्र में दो स्थलों पर 79 एकड क्षेत्र में क्रम ाः 20 एकड व 59 एकड क्षेत्र राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर उत्तरी पि चमी योजना परिक्षेत्र में दो स्थलों पर 31 एकड क्षेत्र पर क्रम ाः सेवर रोड पर 7 एकड क्षेत्र में व प्रस्तावित पि चमी बाह्य मार्ग पर 24 एकड क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में दो स्थलों पर 23 एकड क्षेत्र पर क्रम ाः 15 एकड, 8 एकड, तथा दक्षिणी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में सीएफसीडी पर 11 एकड क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये हैं इस तरह क्षितिज वर्श 2023 तक अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अनतर्गत 191 एकड क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। भविश्य में प्रस्तावित आवासी योजनाओं में विस्तृत प्लान बनाते समय विभिन्न आय वर्ग के लिए अन्य सामुदायिक सुविधाऐं दी जा सकेंगी। विद्यमान अन्य सामुदायिक सुविधाओं का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावों का विवरण तालिका–22 में द ार्याया गया हैः–

rkfydk&22

vU; lkeqnkf;d lqfo/kkvksa dk Hkw&mi;ksx dk fooj.k] Hkjriqj&2023

d-la-	vU; lkeqnkf;d lqfo/kk,¡	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM½
विद्यमान				
सार्वजनिक पुस्तकालय, डाकघर, टेलीफोन केन्द, पुलिस थाने व पुलिस चौकियां, क्लब इत्यादि				47
प्रस्तावित				
1	दक्षिणी–पि चमी योजना परिक्षेत्र	2	राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर (20 एकड + 59 एकड)	79
2	उत्तरी–पि चमी योजना परिक्षेत्र	2	सेवर रोड (7 एकड) व प्रस्तावित पि चमी बाह्य मार्ग पर (24 एकड)	31
3	उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र	3	प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर दो स्थल (15 एकड+8 एकड)	23
4	दक्षिणी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र	1	सीएफसीडी पर	11
;ksx				144
dqy ;ksx ¼fo|eku$izLrkfor½				191

स्त्रोतः– नगर नियोजना विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

5-5 ¼4½ /kkfed@,frgkfld LFky@lkekftd&lkLdfrd

भरतपुर भाहर में वर्तमान में धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल/ सामाजिक – सांस्कृतिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग के अन्तर्गत 42 एकड क्षेत्र है। विद्यमान धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल/सामाजिक–सांस्कृतिक का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ प्रस्तावित सामाजिक–सांस्कृतिक प्रयोजनार्थ विवरण तालिका–23 में द ार्या गया हैः–

Rkkfydk&23
/kkfed@,frgkfld LFky@lkekftd&lkLdfrd i;ksZtukFkZ
Hkw&mi;ksx dk fooj.k] Hkjriqj&2023

d- l-	/kkfed@,frgkfld LFky@ lkekftd&lkLdfrd	l[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM½
fo|eku				
धार्मिक स्थलः– प्रमुखतः गंगा मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, जामा मस्जिद इत्यादि, ऐतिहासिक स्थलः– प्रमुखतः लोहागढ इत्यादि, सामाजिक–सांस्कृतिकः– प्रमुखतः जसवन्त प्रद ानी एवं मेला स्थल				42
;ksx				42

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

5-5 ¼4½ v& /kkfed@,frgkfld LFky

भरतपुर भाहर अपने धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों के लिए काफी प्रसिद्व है। प्रमुख धार्मिक स्थलः– गंगा मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर व जामा मस्जिद है। ऐतिहासिक स्थलों में लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर संग्राहलय आदि है। इन धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों संरक्षित घोशित किया जाकर यथोचित संरक्षण व विकास किया जाना अपेक्षित है। ये सभी धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल पर्यअन की दृश्टि से महत्वपूर्ण हैं।

5-5 ¼4½ c&lkekftd&lkLdfrd

भाहर में सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों व कार्यक्रमों हेतु सेवर रोड पर एक मात्र स्थल जसवंत प्रद ानी व मेला स्थल है। भविश्य की आव यकताओं के मध्य नजर मास्टर प्लान में सामाजिक–सांस्कृतिक प्रयोजनार्थ उत्तरी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में सीएफसीडी पर 23 एकड क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

5-5 ¼5½ tuki;ksxh lqfo/kk,¡&

भरतपुर भाहर में वर्तमान में जनोपयोगी सुविधाऐं यथा जलापूर्ति, जल मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबंध तथा विद्युत आपूर्ति के अन्तर्गत 55 एकड क्षेत्र है। भाहर

की भावी आव यकताओं के मध्यनजर जनोपयोगी सुविधाओं के अन्तर्गत 6 स्थलो पर 82 एकड क्षेत्र प्रस्तावित किया गया हैं केवलादेव योजना परिक्षेत्र में राश्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण मे 25 एकड क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में तीन स्थलों पर कम ाः मथुरा रोड पर 15 एकड क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में 14 एक में व सीएफसीडी पर 11 एकड क्षेत्र में था दक्षिणी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में दो स्थलों पर कम ाः प्रस्तावित 120 फीट चौडी सडक पर 10 एकड क्षेत्र में व प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर 7 एकड क्षेत्र में जनोपयोगी सुविधाऐं प्रस्तावित की गयी है। विद्यमान जनोपयोगी सुविधाओं के संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावों का विवरण तालिका–24 में द ाया गया हैः–

Rkkfydk&24
Tkukis;kxh lqfo/kkvks dk Hkw&mi;ksx dk fooj.k] Hkjriqj&2023

d-l-	Tkukis;kxh lqfo/kk,a	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM½
fo|eku				
जलापूर्ति, जलमल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन तथा विद्युत आपूर्ति				55
izLrkfor				
1	केवलादेव योजना परिक्षेत्र	1	राश्ट्रीय राजमार्ग 11 के दक्षिण में	25
2	उत्तरी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र	3	मथुरा रोड पर (15 एकड), उत्तरी–पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र (14 एकड) व सीएफसीडी पर (11 एकड)	40
3	दक्षिणी–पूर्वी योजना परिक्षेत्र	2	प्रस्तावित 120 फीट चौडी सडक पर (10 एकड) व प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर (9 एकड)	17
;ksx				82
dqy ;ksx ¼fo|eku$izLrkfor½				137

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

उपरोक्त के अतिरिक्त, नगर परिशद भरतपुर द्वारा ठोस कचरा निस्तारण हेतु परिधि नियंत्रण पट्टी में अछनेरा रोड पर 2 किमी. उत्तर की तरफ आबादी से दूर नोह गांव के पि चम में 27.65 एकड भूमि कचरागाह के रूप में काम में ली जा रही है, जिसका विकास कार्य प्रगति पर है।

5-5 ¼5½ v&tykiwfrZ

भरतपुर भाहर में जलापूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बंध बारेठा, भाहर में स्थित ट्यूबवैल व मण्डली–पिचूना हैड से की जाती है। औसत जलापूर्ति 42.0 लाख गेलन प्रतिदिन है, जो करीब 78 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। भविश्य में भाहर में

जलापूर्ति की विस्तार व गुणवत्ता में सुधार हेतु धौलपुर–भरतपुर चम्बल परियोजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है। आगामी 15–20 वर्शों की जलापूर्ति इस परियोजना के पूर्णरूप से क्रियान्वयन से सम्भव हो सकेगी।

5-5 ¼5½ c&ty ey fudkl ,o Bkl dpjk fuLrkj.k ic/ku

भरतपुर में जल–मल निकास की पर्याप्त सुचारू व्यवस्था नहीं हैं। भाहर में नालियां खुली व अनुपयुक्त होने के कारण वर्शा ऋतु में पानी प्रायः सडकों पर एकत्रित हो जाता है। सरकूलर रोड के अंदर निर्मित आवासीय क्षेत्रों का गंदा पानी खुली नालियों के माध्यम से भाहर की बाहरी खाई व सुजान गंगा में निस्तारित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप रियासत काल में जो सुजान गंगा अपने स्वच्छ जल व घाटों के लिये प्रसिद्ध थी, अब वह प्रदूशित है। सुरक्षा की दृश्टि से बनाई गई बाहरी खाई व मिट्टी की दीवार अतिक्रमण से प्रभावित है जिससे जल निकासी में अवरोध पैदा होता है। भौगोलिक स्थिति तथा जल–मल निकास की व्यवस्था के अभाव में भतरपुर भाहर वर्शा ऋतु में अत्यधिक वर्शा के समय जल–मल व बाढ के पानी से ग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार भाहर में सरकूलर रोड के बाहर कृशि भूमि पर बनी अनाधिकृत आवासीय क्षेत्रों में जल–मल निकास सुविधा का पूर्ण अभाव है। गिर्राज केनाल तथा सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन द्वारा वर्शा ऋतु में बाढ के पानी को मुख्य केनाल में डालकर भाहर से बाहर निकाला जाता है। भाहर में सीवरेज व्यवस्था भी नहीं है। न्यास द्वारा विकसित किये गये आवासीय क्षेत्रों तथा नवनिर्मित आवाग्रहों के जल–मल निकास के लए सैप्टिक टैंक का निर्माण किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में भविश्य में वि ोशकर भरतपुर भाहर के लिए यह आव यक है कि भाहर के लिए सीवरेज व्यवस्था की योजना तैयार कर क्रियान्वित की जावे। सीवरेज के समुचित ढंग से निकास हेतु भौगोलिक स्थिति व ढलान को दृश्टिगत रखते हुए परिधि नियंत्रण क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सीवरेज परि ोधन संयंत्र लगाया जाना उचति होगा ताकि भविश्य में भाहर को प्रदूशण से बचाया जा सके। नगर परिशद, भरतपुर द्वारा सुजान गंगा के आस–पास के आवासीय क्षेत्र के गंदे पानी को सुजान गंगा में निस्तारण को रोकने के लिये व इसे स्वच्छ जल से भरने के लिये योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा ठोस कचरा निस्तारण हेतु परिधि नियंत्रण पट्टी अछनेरा रोड पर 2 किमी. उत्तर की तरफ आबादी से दूर नोह गांव के पि चम में 27.65 एकड भूमि कचरागाह के रूप में काम में ली जा रही है जिसका विकास कार्य प्रगति पर है। साथ ही औद्योगिक ठोस अपि ाश्ट हेतु भूमि का चयन नगरपालिका अपने स्तर पर सुनि चत करते हुए प्रस्ताव तैयार करेगीं तथा राजस्थान राज्य प्रदूशण मण्डल, जयपुर द्वारा जारी अन्य दि ाा निर्दे ाों एवं प्रावधानों की सुनि चत्ता नगर पालिका स्तर पर की जावेगी।

5-5¼5½ l&fo|r vkiwfrZ

भरतपुर में विद्युत आपूर्ति जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा की जा रही है। विद्युत आपूर्ति हेतु एक 132 के ग्रिड सब स्टे ान मोती झील के पास, एक 220 केवी ग्रिड सब स्टे ान रीको एरिया में तथा छः 33 केवी सब स्टे ान यथा राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल के पास, हीरादास बस स्टेण्ड के पास, जनाना अस्पताल के पास, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, सारस चौराहे के पास तथा आगरा रोड पर घना पक्षी विहार के पास शहर में स्थित है।

शहर में विद्यमान विद्युत आपूर्ति नेटवर्क शहर की वर्तमान आव यकताओं के परिपेक्ष में सुचारू विद्युत आपूति हेतु पर्याप्त है। वर्ष 2023 की विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु विभिन्न योजना परिक्षेत्रो में जन उपयोगी सेवाओं हेतु समुचित भूमि का प्रावधान किया गया है।

5-5(6) श्मkku o dfczLrku

हिन्दू समुदाय हेतु अंतिम संस्कार के लिए 10 श्म ाान घाट यथा (1) कुम्हेर गेट बाहर (2) अनाह गेट बाहर (3) बीनारायण गेट बाहर (4) नई मण्डी (5) पक्का बाग (6) सेवर (7) मालीपुरा (8) नोह गांव (9) तोंगा व (10) अनाह गांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान है। इसी तरह कब्रिस्तान शहर में तीन स्थलों यथा (1) कुम्हेर गेट के बाहर ईदगाह कॉलोनी में (2) बीनारायण गेट के बाहर व (3) गोवर्धन गेट, मछली मोहल्ला पर है। भविष्य के लिए वर्तमान श्म ाान व कब्रिस्तान स्थलों को वर्तमान स्थलों पर यथावत रखने का निर्णय लिया है तथा छाया, बैठने, बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था करना प्रस्तावित है। परंतु बढ़ती आबादी और दूरियों के कारण शहर में नये श्म ाान व कब्रिस्तान स्थलों की आव यकता होगी। मास्टर प्लान में इनके लिए अलग से जगह निर्धारित नहीं की गयी है। भविष्य में इन्हें आव यकता अनुसार नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में अनुशांगिक उपयोग के रूप में तथा परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्वीकृत किया जा सकता है। इन स्थलों की सीमा के साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। आंतरिक विकास यथा छाया, बैठने, बिजली व पानी की आव यकतानुसार समुचित व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

5-6 vkeksn&izeksn

भरतपुर शहर में जनसंख्या के अनुपात में आमोद–प्रमोद की सुविधाओं की कमी रही है। आधार वर्ष में आमोद–प्रमोद के लिए उद्यान व खुले स्थानों के अन्तर्गत विकसित क्षेत्र का 43.4 प्रति ात भाग अर्थात 166 एकड़ क्षेत्र था। केवलादेव योजना परिक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर केवलादेव स्थित है। इसके अनुरूप पारिस्थितिकी की दृष्टि से इसके एवं आस–पास के क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास हेतु सुसंगत भू–उपयोग के प्रावधान की आव यकता है। क्षितिज वर्ष 2023 तक आमोद–प्रमोद प्रयोजनार्थ 1251 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 10.69 प्रति ात है। मास्टर प्लान में आमोद–प्रमोद की सुविधाओं के अभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

प्रत्येक योजना परिक्षेत्र में उद्यान व खुले स्थानों का प्रस्ताव किया गया है ताकि स्थानीय लोगों को आमोद–प्रमोद की सुविधा उपलब्ध हो सके।

5-6 ¼1½ okuLifrd@tSfod xkMZu o {ks=h; m|ku

अन्तर्राश्ट्रीय धरोहर केवलादेव के अनुरूप पारिस्थितिक की दृश्टि से इसके एवं आस–पास के संरक्षण एवं विकास हेतु इसके उत्तर की तरफ राश्ट्रीय राजमार्ग 11 तक 422 एकड क्षेत्र में वानस्पतिक/जैविक गार्डन तथा दूसरी ओर दक्षिण की तरफ क्षेत्रीय उद्यान 344 एकड क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये हैं।

5-6 ¼2½ m|ku o [kqyk LFky

भरतपुर भाहर में कम्पीन बाग भाहर का प्रमुख उद्यान व खुला स्थल है। इसके अतिरिक्त भाहर में महात्मा गांधी पार्क नेहरू पार्क, भाास्त्री पार्क व फुलवारी भाहर के मध्य स्थित है। केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान के सामने राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 12 एकड में वि वप्रिय भाास्त्री उद्यान विकसित किया गया है। हीरादास बस स्टेण्ड के समीप जसवंत प्रद र्नी एवं मेला स्थल है। नगर सुधार न्यास द्वारा विकसित की गई विभिन्न आवासीय योजनाओं में स्थानीय आव यकताओं हेतु पार्क एवं खुले स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

उद्यानों एवं खुले स्थलों की कमी को देखते हुए प्रत्येक योजना परिक्षेत्र में उद्यानों व भूमि की उपलब्धता के मध्यनजर खुले स्थलों की समुचित भूमि प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त भू–उपयोग योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की आवासीय योजनाऐं बनाते समय इन योजनाओं में समुचित भूमि पार्क व खुले स्थलों हेतु आरक्षित रखा जाना प्रस्तावित है।

5-6 ¼3½ LVsfM;e ,oa [ksy eSnku

भरतपुर भाहर में वर्तमान में सेवर रोड पर स्टेडियम ग्राउण्ड को खेलकूद व सार्वजनिक समारोह के आयोजन हेतु काम में लिया जाता है जिसे यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।

5-6 ¼4½ v)Z lkoZtfud euksjatu

भाहर के नागरिकों हेतु स्वस्थ मनोरंजन एक महत्वपूर्ण आव यकता है। अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन के अन्तर्गत जल उद्यान, विज्ञान उद्यान, क्लब एवं खेलकूद हेतु अन्य उद्यान आदि सम्मिलित हैं। अर्द्ध सावर्जनिक मनोरंजन हेतु स्थल राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 20 एकड क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये हैं।

5-6¼5½ ey@i ;Vu lfo/kk,

भरतपुर शहर में वर्तमान में उपलब्ध जसवंत प्रद र्नी एवं मेला स्थल भविष्य की आव यकताओं के मध्य नजर पर्याप्त हैं। पर्यटन सुविधाओं हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर प्रस्तावित बस स्टेण्ड के पास 32 एकड़ क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर फतेहपुर सीकरी रोड से दक्षिण में 10 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जिसे सुनियोजित लैंड–स्केपिंग व अन्य पर्यटक केम्पिंग सुविधाओं की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित है। पर्यटन सुविधाओं के अन्तर्गत एम्यूजमेण्ट पार्क, रिसोर्ट, केम्पिंग ग्राउण्ड, होटल, रेस्टोरेण्ट, आर्ट गैलेरी, हैण्डीक्राफ्ट मार्केट, गोल्फ कोर्स आदि भू–उपयोग सम्मिलित होंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 11 तक प्रस्तावित वानस्पतिक/जैविक गार्डन व दक्षिण की तरफ क्षेत्रीय उद्यान भी पर्यटकों के लिए आकर्षण के केन्द्र होंगे।

भरतपुर में विद्यमान पुरातत्व, धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के प्रमुख स्थलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाकर विकसित किया जाना चाहिए। ये सभी धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन स्थलों व इनसे लगते हुए क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

जल–महलों तथा रंगीन फव्वारों के लिये प्रसिद्व डीग कस्बा भरतपुर से लगभग 35 किमी. दूरी पर है, जिसका विभाग द्वारा पूर्व में मास्टर प्लान बनाया जा चुका है। डीग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की विपुल सम्भावनाऐं हैं। जिसके विकसित होने पर भरतपुर में भी पर्यटन का विकास होगा।

5.7 ifjlpj.k

भरतपुर शहर दिल्ली–मुम्बई व जयपुर–बांदीकुई–आगरा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है। राज्य राजमार्ग 14 भरतपुर–अलवर व राज्य मार्ग 24 हिण्डोन–मथुरा द्वारा राज्य के समीपवर्ती प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। मथुरा बाईपास मथुरा रोड को डीग रोड से जोड़ता है। शहर की आंतरिक यातायात हेतु मुख्य सड़कें सरकूलर रोड, फतेहपुर सीकरी रोड, अछनेरा रोड, सेवर रोड इत्यादि हैं। सरकूलर रोड के भीतरी भाग में सड़कें सकडी व टेढी–मेढी हैं तथा अव्यवस्थित पार्किंग के कारण यातायात में व्यवधान होता है। हीरादास बस स्टेण्ड कन्नी गूर्जर, सारस, कुम्हेर गेट आदि प्रमुख चौराहे हैं। विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे पुल (आर.ओ.बी.) के अभाव में यातायात में अत्यन्त असुविधा होता है। शहर में हीरादास बस स्टेण्ड कार्यरत है तथा न्यास द्वारा प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर ऑटोमोबाईल मार्केट डीग रोड पर क्रियान्विति के स्तर पर है। आधार वर्ष में परिसंचरण के अन्तर्गत विकसित क्षेत्र का 16.35 प्रति त अर्थात 625 एकड़ क्षेत्र था, जो 3.04 एकड़ प्रति 1000 व्यक्ति आंकलित होता है क्षितिज वर्ष 2023 तक परिसंचरण प्रयोजनार्थ 2298 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 19.63 प्रति त है। परिसंचरण के अन्तर्गत विद्यमान क्षेत्रफल, प्रस्तावित क्षेत्रफल एवं क्षितिज वर्ष तक कुल क्षेत्रफल का विवरण तालिका–25 में द ाया गया हैः–

Rkkfydk&25

ifjlapj.k] Hkkjriqj&2023

d- l-	ifjlapj.k	la[;k	fLFkfr	{ks=Qy ¼,dM½
fo|eku				
रेल लाईन, सडक–राश्ट्रीय राजमार्ग 11 राज्य राजमार्ग 14 व 24 अन्य सडकें बस व ट्रक टर्मिनल, ट्रान्सपोर्ट नगर ऑटोमोबाईल मार्केट				625
izLrkfor				
1	यातायात नगर	1	प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर	60
2	बस अड्डा	1	राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर	21
3	टैक्सी स्टेण्ड	1	सरकूलर रोड पर	5
4	रोड नेटवर्कः राजश्ट्रीय राजमार्ग 11, राज्य राजमार्ग 14 व 24 बाह्य मार्ग, प्रमुख सडकें, उप प्रमुख सडकें, मुख्य सडकें, अन्य सडकें इत्यादि	अनेक		1587
;ksx				1673
dqy ;ksx ¼fo|eku$izLrkfor½				2298

स्त्रोतः– नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आंकलन

वर्तमान में उपयुक्त परिसंचरण संरचना के अभाव में प्रादेि ाक व स्थानीय यातायात मुख्य रूप से सरकूलर रोड पर केन्द्रित है जिससे सरकूलर रोड व अन्य सडकों पर गम्भीर यातायात की समस्या के साथ–साथ प्रादेि ाक यातायात में भी रूकावट पैदा होती है। अतः प्रस्तावित परिसंचरण संरचना के अन्तर्गत भाहर में सुव्यवस्थित व सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के उद्दे य से प्रादेि ाक यातायात का निर्बाध व सुगम संचालन के लिए बाह्य मार्ग प्रस्तावित करते हुए राश्ट्रीय राजमार्ग 11 व राज्य राजमार्ग 14 व 24 के बीच उपयुक्त सुगम सम्पर्क प्रस्तावित किया गया है। भाहर के नगरीकृत क्षेत्र व प्रस्तावित नगरीयकरण क्षेत्र में आवागमन की सुगमता की दृश्टि से सडकों की क्रमवार व्यवस्था, सडकों को चौडा करना व सुधार, पार्किंग सुविधा विकसित करना, चौराहों का सुधार व निर्माण तथा रेलवे लाईन के ऊपर पुल (आर.ओ.बी) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बाह्य मार्ग पर यातायात नगर प्रस्तावित किये गये है। आव यकतानुसार दक्षिणी पूर्वी योजना परक्षित्र में टैक्सी स्टेण्ड प्रस्तावित किये गये हैं।

5-7 ¼1½ jk"Vh; jktekx] jkT; jktekx o cká ekx

अधिसूचित नगरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का मार्गाधिकार 200 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। सारस चौराहे पर यातायात की समस्या को देखते हुए ग्रेड सेपरे ान बनाया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर पूर्व दि ाा में प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र की सीमा से लगते उत्तर की तरफ पूर्वी बाह्य मार्ग विद्यमान मथुरा रोड पर मथुरा बाईपास से मिलता है। पि चमी बाह्य मार्ग मथुरा रोड से पि चम में मथुरा बाईपास पर होता हुआ गुंडवा गांव के उत्तर में डीग रोड (राज्य राजमार्ग 14) से मिलता है व आगे दक्षिण पूर्वी की तरफ डी रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर तक आकर दक्षिण पि चम की तरफ से दिल्ली–मुम्बई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के लिए निर्मित पूल (आर.ओ.बी.) के पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से मिलता है। बाह्य मार्ग एवं राज्य राजमार्गो का मार्गाधिकार 200 फीट व परिधि नियंत्रण पट्टी में इनके दोनों तरफ 100–100 फीट वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित है।

5-7 ¼2½ vkrfjd lMd o ekxkf/kdkj

शहर में यातायात को सुगम व सुव्यवस्थित करने के उद्दे य से सड़कों का वर्गीकरण क्रम ाः प्रमुख सड़कें 120 फीट, उप प्रमुख सड़कें 100 फीट, मुख्य सड़कें 80 फीट तथा अन्य सड़कें 60 फीट चौड़ी प्रस्तावित की गयी है। अन्य महत्वपूर्ण सड़क/आवासीय सड़क 30 से 60 फीट चौड़ी का प्रावधान विस्तृत योजना/सेक्टर एवं स्कीम प्लान बनाते समय किया जावेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व बाह्य मार्ग तथा सड़कों का मार्गाधिकार तालिका–26 में द ार्या गया हैः–

rkfydk&26

ekx o lMdk dk ekxkf/kdkj] Hkjriqj 2023

dz- l-	ekx o lMd dk izdkj	U;wure ekxkf/kdkj	
		ehVj	QhV
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग 11, राज्य राज मार्ग एवं बाह्य मार्ग	60	200
2.	प्रमुख सड़कें	36	120
3.	उप प्रमुख सड़कें	30	100
4.	मुख्य सड़कें	24	80
5.	अन्य सड़कें	18	60
6.	अन्य महत्वपूर्ण सड़क/आवासीय सड़क	9–18	30–60

5-7 ¼3½ lMdk dk pkMk@lq/kkj djuk ,o 0;ofLFkr ikfdx lqfo/kk,

वर्तमान में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग तथा सड़कें यथा प्रमुख सड़कें, उप प्रमुख सड़कें, मुख्य सड़कें व अन्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित की गई हैं, उनका मार्गाधिकार निर्धारित नीति/मानदण्डों के अनुरूप होगा लेकिन वर्तमान में उपलब्ध

मार्गाधिकार को किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो, यह सुनि चत किया जाना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य बाजारों में सड़कों के मार्गाधिकारों में अनाधिकृत रूप से निर्मित चबूतरे, रेम्पस व अन्य निर्माण तथा सड़क पर स्थित प्रोजेक न को हटाया जाकर सड़कों को चौडा किया जाना प्रस्तावित है। साथ में ही सुगम संचरण में बाधक बिजली टेलीफोन व अन्य कोई बाधा को हटाने का कार्य भी प्रस्तावित है। शहर के घने आबादी क्षेत्रों में कतिपय बाधाओं के कारण जहां सड़कें निर्धारित मानकों के अनुसार चौडी किये जाना संभव नहीं है, को पूर्व स्वीकृतियों के अनुसार मार्गाधिकार रखा जा सकेगा। आव यकतानुसार निर्दिष्टित स्थलों पर नियोजित व व्यवस्थित पार्किंग सुविधाऐं विकसित की जानी हैं, ताकि यातायात में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। यातायात का दबाव व उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के परिपेक्ष में जिला स्तरीय यातायात समिति द्वारा आव यकतानुसार मार्ग निर्धारित कर एक तरफा यातायात व्यवस्था के साथ प्रदूषण रहित सुंगम सार्वजनिक शहरी परिवहन का प्रबन्ध भी किया जाना प्रस्तावित है।

5-7 ¼4½ pkSjkgk@frjkgk dk lq/kkj o fuekZ.k

भरतपुर शहर में वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न चौराहे/तिराहों का सुधार कर पुनः परिकल्पित विकास किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में यातायात को सुगम बनाये रखने के उद्दे य से मास्टर प्लान में प्रस्तावित परिसंचरण के अन्तर्गत आने वाले चौराहों/तिराहों का नियोजित समयबद्व विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5-7 ¼5½ ;krk;kr uxj] cl vM~Mk rFkk VSDlh LVS.M

नगर सुधार न्यास द्वारा प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर व ऑटोमोबाइल मार्केट डीग रोड पर क्रियान्विती के स्तर पर है। भविष्य की परिवहन की आव यकताओं के मध्यनजर प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग पर 60 एकड़ क्षेत्र में यातायात नगर प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह भावी आव यकता को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी पूर्वी योजना परिक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 21 एकड़ क्षेत्र में बस अड्डा प्रस्तावित किया है। शहर में सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था की आव यकता के मध्यनजर सरकूलर रोड पर 5 एकड़ क्षेत्र में टैक्सी स्टेण्ड प्रस्तावित किया गया है।

5-7 ¼6½ jsyos

भरतपुर एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टे ान हैं, जो दिल्ली–मुम्बई व जयपुर–बांदीकुई–आगरा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्दे य से वर्तमान में रेलवे लाइन पर बने पुलों व डीग रोड पर बने अण्डरपास को सुधारने व चौडा करने की आव यकता हैं। इसके अलावा निम्न सथलों पर रेल लाइन के ऊपर से पुल (आर.ओ.बी.) प्रस्तावित हैः–

(1) दिल्ली–मुम्बई रेलवे लाइन पर डीग रोड के लिए
(2) दिल्ली–मुम्बई रेलवे लाइन पर प्रस्तावित 120 फीट सड़क के लिए
(3) दिल्ली–मुम्बई रलवे लाइन पर प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग के लिए
(4) जयपुर–बांदीकुई–आगरा रेलवे लाइन पर प्रस्तावित 120 फीट सड़क के लिए
(5) जयपुर–बांदीकुई–आगरा रेलवे लाइन पर प्रस्तावित पूर्वी बाह्य मार्ग के लिए

5.8 fo'k"k fu;ktu {k= ¼&

नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा प्रस्तावित बहुउद्दे ीय योजना को मास्टर प्लान में समायोजित करने की दृश्टि से केवलादेव योजना परिक्षेत्र में राश्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 136 एकड़ क्षेत्र में वि ोश नियोजन क्षेत्र में बहुउद्दे ीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

5.9 ifjf/k fu;U=.k iV~Vh

मास्टर प्लान में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ अधिसूचित नगरीय क्षेत्र तक परिधि नियन्त्रण पट्टी का प्रावधान किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 32925 एकड़ है। उल्लेखनीय है कि परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रस्तावित करने से पूर्व नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के फैलाव की सीमा का निर्धारण अगले 20 वर्षो की आव यकताओं, समुचित घनत्व एवं एकीकृत विकास की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए बृहद तकनीकी अध्ययन के आधार पर किया गया है।

परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास एवं विस्तार आव यकतानुसार योजना तैयार कर सक्षम स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा। परिधि नियन्त्रण पट्टी में पेट्रोल पम्प इन्डियन रोड़ काग्रेस/एम.ओ.आर.टी.एच. /भवन विनियमों के मापदण्डों की अनुपालना किये जाने की शर्त पर अनुज्ञेय माना जायेगा तथा ग्रामीण आबादी विस्तार, कृषि आधारित उद्योग, ईट भट्टे, दुग्ध ाला, फलोद्यान, पौध ाला, मुर्गीपालन, फार्म हाउस, रिसोर्टस, मोटल्स, एम्यूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क, इत्यादि अनुज्ञेय होगें।

5-9¼1½ o{kkjki.k iV~Vh

प्रस्तावित भू–उपयोग योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 तथा राज्य राज मार्ग व बाह्य मार्गो के बाह्य ओर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर क्रम ः 150 फीट चौडी तथा 100 फीट चौडी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इस वृक्षारोपण पट्टी को आव यकता होने पर सडक विस्तार, सर्विस रोड विकसित करने एवं वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा।

6-
;kstuk dk fdz;kUo;u

भाहर की 2023 तक की आव यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये इस मास्टर प्लान की क्रियान्विति हेतु यह आव यक है कि इस योजना के निरन्तर में सैक्टर प्लान तथा योजनाऐं बने। यह भी आव यक है कि उक्त सैक्टर प्लान्स एवं योजनाओं के समन्वित/एकीकृत विकास हेतु आव यक भूमि उपलब्ध हो तथा उस भूमि पर पानी, बिजली, सीवर इत्यादि आधारभूत सुविधाऐं बांछनीय मापदण्डों के आधार पर उपलब्ध हों। उक्त उद्दे य की प्राप्ति हेत संबंधित सभी विभागों में समन्वय आव यक है तथा मास्टर प्लान की क्रियान्विति की सतत् निगरानी भी आव यक है। क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त, सदस्य जिला कलैक्टर, भरतपुर, वरिश्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजन, अधिक्षण/अधि ाशी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भरतपुर होगें, जबकि सचिव, नगर सुधार न्यास, भरतपुर इसके सदस्य सचिव होंगे। इस समिति की बैठक में क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जावेगा एवं विशय वि ोशज्ञों को भी मनोनित किया जा सकेगा।

किसी भी प्लान के क्रियान्वयन में जनता का सहयोग अतिआव यक है। इस हेतु जनता में जागरूकता लाने के लिए मास्टर प्लान तथा सैक्टर प्लान्स एवं नगर नियोजन की योजनाओं के विशय में जनता को विभिन्न प्रकार से अधिकाधिक जानकारी देने का प्रयास किया जाना आव यक है।

6-1 mi lagkj

भरतपुर भाहर का मास्टर प्लान विवेक–सम्मत एवं व्यावहारिक दृश्टिकोण के आधार पर तैयार किया गया हैं तथा समस्त वांछित सुविधाओं एवं सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। भाहर में नई सुविधाऐं विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि और भरतपुर को आवास की दृश्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने तथा इसके सर्वांगिण व एकीकृत विकास के उद्धे य को ध्यान में रख कर इस प्लान को तैयार किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृति/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई भू–उपयोग योजना–2031 में समायोजित किए जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई किसी स्वीकृति यथा 90–बी के आदे ा, आवंटन, भूमि रूपान्तरण व नियमन, भू– उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जायेगा।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जला ाय डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी

का अंकन नहीं हो पाया हो तो उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार मान्य होगी। इन नदी नाले जला ायों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तर नहीं किया जायेगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनि चत की जावेगी।

केवलादेव राश्ट्रीय उद्यान के 500 मीटर के परिधि में जो भी भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है। उनके लिए प्राप्त होने वाले प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति दिये जाने से पूर्व वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आव यक होगा।

jktLFkku uxj lq/kkj vf/kfu;e] 1959 dk m)j.k

v/;k;&2

ekLVj Iyku

3- राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदे□ा करने की भाक्ति %

(1) राज्य सरकार आदे ा द्वारा यह निर्दे ा दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदे ा में विनिर्दिश्ट किसी नगरीय क्षेत्र के संबंध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिशद का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4- ekLVj Iyku dh vUroZLrq %

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनि चत किये जाएंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपद िात की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है और

(ख) उस ढांचे के, जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायें, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5- vuqlj.k dh tkus okyh izfØ;k %

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी भाासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रका ित करके जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिश्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रका ित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के संबंध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के प चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अन्तिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाए गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के संबंध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बद्ध किसी अन्य विशय के संबंध में उपबन्ध किये जा सकेंगे।

6- ekLVj Iyku dk I jdkj dk iLrqr fd;k tkuk

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के प चात यथा सम्भव भीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उनको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने का निर्दे ा दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आव यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्दे ा देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7- ekLVj Iyku dk iorZu dh rkjh[k

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक प चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रका ित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रका ान की तिथि से प्रवर्तन में आ जावेगा।

jktLFkku uxj lq/kkj U;kl ¼lkekU;½ fu;e & 1962 dh m)j.k

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02-04-1962 published in the Rajasthan Gazette. Part IV-C, Estraordinary dated 08-06-1962 Page 118]

In esercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the followings Rules, namely:-

RULES

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules-1962"

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Defination - In these rules, unlessthe subject or context Otherwise requires-

(i) **"Act"** mean the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959)

(ii) **"Trust"** means a trust as constituted under the Act.

(iii) **"Section"** means a Section of the Act.

(iv) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of draft Master Plan and the contents there of under Section 5(i)

1. [1][The Draft master plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 shall be published by him by making a copy there of available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft masterPlan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice.

   [2][If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is stasfied that response to the Draft Master Plan has been

---

1. Substituted by caluse 2 of Notification No.F.3 (123) TP/36, Date 24-02-1970 vide C.S.R. 96 pub. In Raj. Gaz. Extra-order; Part IV-c, Dated 24.02.1970 at page 329-331
2. Amended & Added vide Noti. No. F. 7 (19) TP/11/76 dated 21- 9-1979 R.G. Pt. IV-c(i) dated 27-9-1979 page 339.

Inadequate, this period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/Suggesions with respect to the draft of the Master Plan.][2]

2. The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area included in theh Master Plan.

3. The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the Following maps, Plans and documents namely:-

   (a) Town Map showing General Layout of the roads adnd streets in the Town.

   (b) Base Map showing the Generalished existing land use Pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

   (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

   (d) Written analysis and writeen statement to support the proposals.

   (e) Any other maps, plans or matter which the Officer or the authority deems fit or as the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under Section 6.(1)

[1](1) After Considering the objections/Suggestion and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 (2) of the Act finalise the master Plan and submit and same [2][of cpmstotited] to the State Government for approval.

[2] When the Master Plan has been approved by the state Government it shall publish in the official Gazette, a notice in from 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy there of would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.

---

1. Substituted by caluse 3 of Notification No.F.3 (23) TP/63, dated 24-02-1970 vide G.S.R. 96 pub. In Raj. Gaz. Extraordinary; pt. IV-C, Dated 24.02.1970 at page 329-331
2. Subsituted vide No. F-9 (101) UDH/111/83 dated 27-10-83 pub. In Raj. Gaz. 4(Ga)(i) dated 16-2-84 page 829

पर◻िश्ट – 3

jktLFkku ljdkj
uxjh; fodkl foHkkx

क्रमांकः– प01(2)नविवि / 66 जयपुर दिनांकः– 02.08.2001

vf/klwpuk

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन 1959) की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एमपी / एफ–1 / 2 / टीपी / 66 दिनांक 08.06.66 एवं क्रमांक प.1(2) नविआ / 66 दिनांक 28.05.84 के अतिक्रमण में मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को भरतपुर के निम्नलिखित वर्णित क्षेत्र का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैः–

dz- lz-	jktLo xzke dk uke		dz- lz-	jktLo xzke dk uke	
1	जघीना	JAGHEENA	2	तोंगा	TONGA
3	तुहिया	TUHIYA	4	टोंटपुर	TONTPUR
5	भंडोर	BHANDOR	6	गुन्डवा	GUNDWA
7	कंजोली	KANJOLI	8	अडी	ADDI
9	चकमुरवारा	CHAK MURWARA	10	मुरवारा	MURWARA
11	अचलपुरा	ACHAL PURA	12	गोलपुरा	GOLPURA
13	अड्डा	ADDA	14	अनाह	ANAH
15	सेवर कलां	SEWAR KALAN	16	झीलरा	JHEELRA
17	मडोली	MADOLI	18	स्योराना	SYORANA
19	मल्लाह	MALLAH	20	श्री नगर	SHRI NAGAR
21	जाटोली घना	JATOLI GHANA	22	नगला गोपाल	NAGLA GOPAL
23	नोह	NOH	24	मडरपुर	MADARPUR
25	बराखुर	BARAKHUR	26	भरतपुर चक नं. 1	BHARATPUR CHAK NO. 1
27	बरसो	BARSO	28	भरतपुर चक नं. 2	BHARATPUR CHAK NO. 2
29	भरतपुर चक न. 3	BHARATPUR CHAK NO.3	30	घसोला	GHASAULA
31	बछामंदी	BACHHAMANDI	32	वमनपुरा	VAMANPURA
33	लुधावई	LUDHABAI	34	बगधारी	BAGDHARI
35	सुखावली	SUKHAWALI	36	आराजी सालगा	ARAJI SALGA
37	सेवर खुर्द	SEWAR KHURD	38	नगला लोधा	NAGLA LODHA
39	नगला बन्ध	NAGLA BANDH			

jkT;iky dh vkKk ls
g0
¼,p0,l0 Hkkj}kt½
भासन उप सचिव

परि□ाश्ट – 4

jktLFkku ljdkj
uxjh; fodkl foHkkx

क्रमांकः– प01(2)नविवि/66 दिनांकः– 05.01.2002

सं□ाोधनः–

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.1(2) नविवि/66 दिनांक 02.08.2001 के प्रथम पैरा में:–

..............................''भरतपुर के निम्नलिखित वर्णित क्षेत्र''..
..................के स्थान पर ....भरतपुर के नगरी क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किए जाते हैं...
पढा जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

g0
¼,p-,l- Hkj}kt½
भाासन उप
lfpo

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है।

1. निदे ाक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना का प्रका ान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाि ात कर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख भाासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलैक्टर, भरतपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक टीपीआरः मास्टर प्लान/1121/ भरतपुर दिनांक 5 नवम्बर,2001 के सन्दर्भ में।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

g0
¼fnyhi flag ckjB½
mi uxj fu;kstd

jktLFkku ljdkj
uxjh; fodkl foHkkx

क्रमांक : प.1(2)नविवि/3/66पार्ट जयपुर दिनांक : 31 MAY 2013

vf/klwpuk

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.08.2011 एवं सं ाोधित अधिसूचना दिनांक 05.01.02 के द्वारा यथा अधिसूचित "भरतपुर के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2023 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2023 की प्रति का अवलोकन सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त भाासन
सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु पेशित है:–

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रका ान राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख भाासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, भरतपुर।
6. वरिश्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।
8. आयुक्त, नगर परिशद्, भरतपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
वरिश्ठ नगर नियोजक